

प्रकाशक

द्वग्नमल याकलीवाल  
मालिक—जैन-अन्य-नदाकर कार्यालय  
हीरावाग, पो० गिरगाँव-वन्धुई ।

६

६ ६ ६  
६

सुदक—

भगेश नारायण कुलकर्णी  
कलाटक प्रेस .  
३१८ ए, ठांडरद्वारा, वन्धुई ३.

## प्रकाशकके दो शब्द

जैन समाजके सुप्रसिद्ध विद्वान् पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारकी लेखनीसे प्रकट हुआ यह ग्रन्थ जैन साहित्यमें एक विलकुल ही नई चीज़ है—मुख्तार साहवके गहरे अनुसंधान, विचार तथा परिश्रमका फल है। इसमें बड़ी खोजके साथ जैनाचार्योंके पारस्परिक शासनभेदको दिखलाते हुए, श्रावकोंके अष्ट भूलगुणों, पंच अणुत्रतों, तीन गुणत्रतों, चार शिक्षात्रतों और रात्रिभोजनत्याग नामक व्रतपर अच्छा प्रकाश डाला गया है। साथ ही, जैनतीर्थकरोंके शासनभेदका भी, उसके कारण संहित, कितनाही सप्रमाण दिग्दर्शन कराया गया है और उसमें मूलों-तर गुणोंकी व्यवस्थाको भी खोला गया है। यह ग्रन्थ जैनशासनके मर्म, रहस्य अथवा उसकी वस्तुस्थितिको समझनेके लिए बड़ा ही उपयोगी है और एक प्रकारसे जिनवाणीके रहस्योदयाटनकी कुंजी प्रस्तुत करता है। इससे विवेकजागृतिके साथ साथ, बहुतोंका जिनवाणी—विषयक भ्रम दूर होगा—गलतफहमी मिटेगी—विचार धारा पलटेगी, कदाप्रह नष्ट होगा और उन्हें जैनशास्त्रोंकी प्रकृतिका सच्चा बोध हो सकेगा; और तब वे उनसे ठीक लाभ भी उठा सकेंगे। ग्रन्थ विद्वानोंके पढ़ने तथा विचार करने योग्य है। प्रत्येक जैनीको इसे ज़खर पढ़ना चाहिये और समाजमें इसका प्रचार करना चाहिये। मुख्तारजीका विचार दूसरे भी किंतने ही विषयोंपर जैनाचार्योंके शासनभेदको दिखलानेका है। उसके लिखे जानेपर ग्रन्थका दूसरा भाग प्रकट किया जायगा।

प्रकाशक

## विषय-सूची

$\overleftarrow{\Rightarrow} 00 \Rightarrow \overrightarrow{\Leftarrow}$

विषय	पृष्ठ
१ प्रकाशकके दो शब्द .... .... ....	(ग)
२ प्रास्ताविक निवेदन .... .... ....	१
३ अष्ट मूलगुण .... .... ....	७
४ अणुवत और रात्रिभोजनविरति .... .... ....	२१
५ गुणवत और शिक्षावत.... .... ....	४१
६ परिशिष्ट .... .... ....	६५
( क ) जैनतीर्थिकरोंका शासनभेद ( दिगम्बरग्रन्थोंपरसे )	६५
( ख )     , , , ( श्वेताम्बर ग्रन्थोंपरसे )	७६
७ शुद्धिपत्र .... .... ....	८०

अर्हम्

# जैनाचार्योंका शासनभेद

—००:००—

## प्रास्ताविक निवेदन

कुछ समय हुआ जब मैंने 'जैनतीर्थकरोंका शासनभेद' नामका उ एक लेख लिखा था, जो अगस्त सन् १९१६ के जैनहितैषीमें प्रकाशित हुआ है \*। इस लेखमें श्रीवद्वकेराचार्यप्रणीत 'मूलाचार' ग्रंथके आधारपर यह प्रदर्शित और सिद्ध किया गया था कि समस्त जैन तीर्थकरोंका शासन एक ही प्रकारका नहीं रहा है। वल्कि समयकी आवश्यकतानुसार—लोकस्थितिको देखते हुए—उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन ज़रूर होता रहा है। और इस लिये जिन लोगोंका ऐसा खयाल है कि जैन तीर्थकरोंके उपदेशमें रचनात्र भी भेद या परिवर्तन नहीं होता—जो वचनवर्गणा एक तीर्थकरके मुखसे खिरती है वही, जैसी तुली, दूसरे तीर्थकरके मुँहसे निकलती है, उसमें जरा भी केरफार नहीं होता—वह खयाल निर्मूल जान पड़ता है। साथ ही, मूलगुण-उत्तरगुणोंकी प्रस्तुपणाके कुछ रहस्यका दिग्दर्शन कराते हुए, यह भी बतलाया था कि सर्व समयोंके मूल-गुण कभी एक प्रका-

\* यह लेख कुछ परिवर्तन और परिवर्धनके साथ, अन्तमें बतौर परिचिष्टके देखिया गया है।

रके नहीं हो सकते। किसी समयके शिष्य संक्षेपप्रिय होते हैं और किसी समयके विस्तारलचिवाले। कभी लोगोंमें ऋजुजड़ताका अधिक संचार होता है, कभी बक्रजड़ताका और कभी इन दोनोंसे अतीत अवस्था होती है। किसी समयके मनुष्य स्थिरचित्त, दृढ़बुद्धि और बलवान् होते हैं और किसी समयके चर्लचित्त, विस्मरणशील और निर्वल। कभी लोकमें मूढ़ता बढ़ती है और कभी उसका हास होता है। इस लिये जिस समय जैसी जैसी प्रकृति और योग्यताके शिष्योंकी—उपदेशपात्रोंकी—बहुलता होती है, उस समय उस वक्तकी जनताको लक्ष्य करके तीर्थकरोंका उसके उपयोगी वैसा ही उपदेश तथा वैसा ही व्रतनियमादिकका विधान होता है। उसीके अनुसार मूलगुणोंमें भी हेरफेर हुआ करता है।

आज मैं अन्तिम तीर्थकर श्रीमहावीरस्वामीके पश्चात् होनेवाले जैनाचार्योंके परस्पर शासनभेदको दिखलाना चाहता हूँ। यह परस्परका शासनभेद दिग्म्बर और श्वेताम्बर दोनों ही संप्रदायोंमें पाया जाता है। अतः, इस लेखमें, दिग्म्बराचार्योंके शासन-भेदको प्रकट करते हुए श्वेताम्बराचार्योंके शासनभेदको भी यथाशक्ति दिखलानेकी चेष्टा की जायगी। इस शासन-भेदको प्रदर्शित करनेमें मेरा अभिग्राय केवल इतना ही है कि जैनियोंको वस्तु-स्थितिका यथार्थ परिज्ञान हो जाय, वे अपने वर्तमान आगमकी वास्तविक स्थिति और उसके यथार्थ स्वरूपको भले प्रकार समझने लगें और इस तरहसे प्रबुद्ध होकर अपना वास्तविक हितसाधन करनेमें समर्थ हो सकें। साथ ही, भेद-विषयोंके सामने आनेपर विद्वानोंद्वारा उनके कारणोंका गहरा अनुसंधान हो सके और फिर इस अनुसंधान-द्वारा तत्त्वकालीन सामाजिक

तथा दैशिक परिस्थितियोंका बहुत कुछ पता चलकर ऐतिहासिक क्षेत्रपर एक अच्छा प्रकाश पड़ सके। हमारे जैनी भाई, आमतौरपर, अभीतक यह समझे हुए हैं कि हिन्दू धर्मके आचार्योंमें ही परस्पर मत-भेद था। इसीसे उनके श्रुति-स्मृति आदि ग्रंथ विभिन्न पाये जाते हैं। जैनाचार्य इस मतभेदसे रहित थे। उन्होंने जो कुछ कहा है वह सब सर्वज्ञोदित अथवा महावीर भगवानकी दिव्यध्वनि-द्वारा उपदेशित ही कहा है। और इस लिये, उन सबका एक ही शासन और एक ही मत था। परन्तु यह सब समझना उनकी भूल है। जैनाचार्योंमें भी चरावर मत-भेद होता आया है। यह दूसरी बात है कि उसकी मात्रा, अपेक्षाकृत, कुछ कम रही हो, परन्तु मतभेद रहा जरूर है। मत-भेदका होना सर्वथा ही कोई बुरी बात भी नहीं है, जिसे घृणाकी दृष्टिसे देखा जाय। सद्गुरुज्ञ और सदाशयको लिये हुए मत-भेद बहुत ही उन्नतिजनक होता है और उसे धर्म तथा समाजकी जीवनीशक्ति और प्रगतिशीलताका घोतक समझना चाहिये। जब, योड़े ही काल × बाद महावीर भगवानको श्रीपार्वनाथ तीर्थकरके शासनसे अपने शासनमें, समयानुसार, कुछ विभिन्नताएँ करनी पड़ीं—जैसा कि ‘मूलाचार’ आदि ग्रंथोंसे प्रकट है—तब दो ढाई हजार वर्षके इस लम्बे चौड़े समयके भीतर, देशकालकी आवश्यकताओं आदिके अनुसार, यदि जैनाचार्योंके शासनमें परस्पर कुछ भेद होगया है—वीर भगवानके शासनसे भी उनके शासनमें कुछ विभिन्नता आगई है—तो इसमें कुछ भी आश्वर्यकी बात अथवा अप्राकृतिकता नहीं है। जैनाचार्य देश-कालकी परिस्थितियोंके

× कोड़े ३२० वर्षके बाद ही; क्योंकि पार्वनाथके निर्वाणसे महावीरके तीर्थका प्रारंभ प्रायः इतने ही वर्षोंके बाद कहा जाता है।

शासनसे बाहर नहीं हो सकते \* । इन्हीं सब बातोंपर प्रकाश डालनेके लिये यह जैनाचार्योंके शासन-भेदको प्रदर्शित करनेका प्रयत्न किया जाता है ।

यहाँपर मैं इतना और भी प्रकट कर देना जरूरी समझता हूँ कि जैनतीर्थकरोंके विभिन्न शासनमें परस्पर उद्देश्यभेद नहीं होता । समस्त जैनतीर्थकरोंका वही मुख्यतया एक उद्देश्य ‘आत्मासे कर्ममलको दूर करके उसे शुद्ध, सुखी, निर्दोष और स्वाधीन बनाना’ होता है । दूसरे शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि संसारी जीवोंको संसार-रोग दूर करनेके मार्गपर लगाना ही जैनतीर्थकरोंके जीवनका प्रधान उद्देश्य होता है । एक रोगको दूर करनेके लिये जिस प्रकार अनेक ओषधियाँ होती हैं और वे अनेक प्रकारसे व्यवहारमें लाई जाती हैं; रोगशान्तिके लिये उनमेंसे जिस वक्त जिस ओषधिको जिस जिस विधिसे देनेकी जरूरत होती है वह उस वक्त उसी विधिसे दी जाती है—इसमें न कुछ विरोध होता है और न कुछ वाधा ही आती है, उसी प्रकार संसाररोग या कर्मरोगको दूर करनेके भी अनेक साधन और उपाय होते हैं और जिनका अनेक प्रकारसे प्रयोग किया जाता है; उनमेंसे तीर्थकर देव अपनी अंपनी समयकी स्थितिके अनुसार जिस जिस उपायका जिस रीतिसे प्रयोग करना उचित समझते हैं उसका उसी रीतिसे प्रयोग करते हैं । उनके इस प्रयोगमें किसी प्रकारका विरोध या वाधा उपस्थित होनेकी संभावना नहीं हो सकती । परन्तु

\* इन्द्रनन्दने अपने ‘नीतिसार’ ग्रंथमें, यह प्रकट करते हुए कि पञ्चम कालमें महाकारी भगवानका शासन इस भरतक्षेत्रमें नानासंघोंसे आकुल (पीडित) हो गया है, खेदके साथ लिखा है ‘विचित्राः कालशक्तयः’—कालकी शक्तियाँ बढ़ी ही, विचित्र हैं । उनका शासन सभीपर होता है; कोई उससे बचनहीं सकता ।

जैनाचार्योंके सम्बन्धमें—उनके विभिन्न शासनके विषयमें—ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता; वह परस्पर विरुद्ध, वाधित और उद्देश्य-भैदको लिये हुए भी हो सकता है। क्योंकि जैनाचार्य, तीर्थकरों अथवा इतर केवल-ज्ञानियोंके समान, ज्ञानादिककी चरम सीमाको पहुँचे हुए नहीं होते। उनका ज्ञान परिमित, पराधीन और परिवर्तनशील होता है। अज्ञान और कपायका भी उनके उदय पाया जाता है। वे राग-द्वेषसे सर्वथा रहित नहीं होते। साथ ही, उन्हें आगम-ज्ञानकी जो कुछ प्राप्ति होती है वह सब गुरुपरम्परासे होती है। गुरुपरम्परामें केवलियोंके पश्चात् जितने भी आचार्य हुए हैं वे सब क्षायोपशमिक ज्ञानके धारक हुए हैं—सर्वोंका बुद्धिवैभव समान नहीं था, उनके ज्ञानमें बहुत कुछ तरत-मता पाई जाती थी—इस लिये वे सभी आगमज्ञानको अपने अपने मतिविभवानुरूप ही ग्रहण करते आए हैं। धारणाशक्ति और स्मृतिज्ञान भी सर्वोंका वरावर नहीं था, वल्कि उसमें उत्तरोत्तर कमीका उछेख पाया जाता है, इसलिए उन्होंने स्वकीय गुरुओंसे जो कुछ आगमज्ञान प्राप्त किया उसे ज्योंका त्यों ही अपने शिष्यादिकोंके प्रति प्रतिपादन कर दिया, ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता। यह भी नहीं कहा जा सकता कि, जो उपदेश अनेक अज्ञानवासित और कपायानुरूप-जित हृदयोंमेंसे होकर प्रतिकूल परिस्थितियोंकी कड़ी धूपमें बाहर आता है वह ज्योंका त्यों ही बना रहता है, उसमें भिन्न अकारके गंध-वर्णके संसर्गकी संभावना ही नहीं हो सकती, अथवा वह बाह्य परिस्थितियोंके तापसे उत्तम ही नहीं होता। ऐसी हालत होते हुए आचार्योंके शासनमें—उनके वर्तमान ग्रंथोंमें—यदि कहीं परस्पर विरोध, वाधा और असमीचीनताका भी दर्शन होता है तो इसमें कुछ भी आश्वर्यकी बात नहीं है।

आर्थर्यकी वात तो तब होगी यदि कोई विद्वान् इस वातके कहनेका साहस करे कि संपूर्ण जैनाचार्योंने—जिनमें भट्टारक लोग भी शामिल हैं—जो कुछ भी, विरुद्धविरुद्धरूपसे, कथन किया है वह सब महावीर भगवान्के द्वारा इन सब विभिन्न मतोंका प्रतिपादन होना नहीं चाहता। संभव है कि उन्होंने इनमेंसे किसी एक मतका प्रतिपादन किया हो, अथवा यह भी संभव है कि उन्हें इन विभिन्न मतोंमेंसे किसी भी मतके प्रतिपादन करनेकी जखरत ही पैदा न हुई हो, और ये सब विभिन्न कल्पनाएँ आचार्योंके मस्तिष्कोंसे ही उत्पन्न हुई हों। कुछ भी हो, आचार्योंके मस्तकोंसे देशकालानुसार नवीन कल्पनाओंका उत्पन्न होना भी कोई बुरी वात नहीं है, यदि वे कल्पनाएँ जैनधर्मके मूल सिद्धान्तोंके विरुद्ध न हों। ऐसी कल्पनाएँ कभी कभी बहुत ही कार्यसाधक और उपयोगी सिद्ध होती हैं। परन्तु देखना यह है कि ऐसी विभिन्न कल्पनाओं अथवा विभिन्न शासनोंकी हालतमें हमारा क्या कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है कि हम साम्राज्यिक मोह, व्यक्तिगत मोह तथा पक्षपातको छोड़कर अपनी बुद्धिसे उनकी जाँच करें और जाँच करनेपर उनमेंसे जो कल्पना तथा मत हमें युक्ति-प्रमाणसे सिद्ध, जैनसिद्धान्तोंके अविरुद्ध और साथ ही समयानुसार उपयोगी प्रतीत हो उसको ग्रहण करें, शेषका सादर परित्याग किया जाय। यदि हमारी सदसद्विकल्पती बुद्धिमें, देशकालकी वर्तमान स्थितियोंके अनुसार, किसी ऐसी कल्पना तथा मतमें कुछ अविरुद्ध परिवर्तन करनेकी जखरत हो तो उसे उक्त परिवर्तनके साथ स्वीकार करें। और यदि एकसे अधिक मत तथा कल्पनाएँ हमें युक्तियुक्त, अविरुद्ध और उपयोगी प्रतीत हों तो उनमेंसे चाहे जिसको ग्रहण करें और चाहे जिसपर आचरण करें। परन्तु

इन सभी अवस्थाओंमें परित्यक्त, अपरिवर्तित और अनाचरित मत तथा कल्पनाके धारकोंके साथ हमें किसी प्रकारका द्वेष रखने या उन्हें घृणाकी दृष्टिसे देखनेकी जरूरत नहीं है। वन सके तो उन्हें प्रेम-पूर्वक समझाना और यथार्थ वस्तुस्थितिका ज्ञान कराना चाहिये। व्यर्थके साम्रादायिक मोह, व्यक्तिगत मोह और पक्षपातके वशीभूत होकर वादविवादके झंडे खड़े करना, आपसमें बैर-विरोध बढ़ाना, एक दूसरेको घृणाकी दृष्टिसे देखना और इस तरहपर अपनी सामाजिक तथा आत्मिक शक्तिको निर्वल बनाकर उन्नतिमें बाधक होना और साथ ही अनेक विपत्तियोंको जन्म देनेका कारण बनना कदापि ठीक नहीं है। ऐसे ही सदाशयोंको लेकर यह जैनाचार्योंके शासन-भेदको दिखलानेका यत्न किया जाता है।

## अष्ट मूलगुण



**जै**

नधर्ममें जिस प्रकार सुनियोंके लिये मूलगुणों और उत्तरगुणोंका विधान किया गया है उसी तरहपर श्रावकों—जैनगृहस्थोंके लिये भी मूलोत्तरगुणोंका विधान पाया जाता है। मूलगुणोंसे अभिप्राय उन व्रतनियमादिकसे है जिनका अनुष्ठान सबसे पहले किया जाता है और जिनके अनुष्ठान पर ही उत्तरगुणोंका अथवा दूसरे व्रतनियमादिकका अनुष्ठान अवलम्बित होता है। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि जिसप्रकार मूलके होते ही वृक्षके शाखा, पत्र, पुष्प और फलादिकका उद्भव हो सकता है उसी प्रकार मूलगुणोंका आचरण होते ही उत्तर गुणोंका आचरण यथेष्ट बन सकता है। श्रावकोंके लिये वे मूलगुण

आठ रखे गये हैं। परंतु इन आठ मूलगुणोंके प्रतिपादन करनेमें आचार्योंके परस्पर मत-भेद है। उसी मत-भेदको यहाँपर, सबसे पहले, दिखलाया जाता है:—

( १ ) श्रीसमन्तभद्राचार्य, अपने 'रत्नकरंडश्रावकाचार'में, इन गुणोंका प्रतिपादन इस प्रकारसे करते हैं—

मध्यमांसमधुत्यागैः सहाणुव्रतपञ्चकम् ।

अष्टौ मूलगुणानाहुर्गृहिणां श्रमणोत्तमाः ॥

अर्थात्—मध्य, मांस और मधुके त्यागसहित 'पञ्च अणुन्त्रोंके पालनको, श्रमणोत्तम, गृहस्थोंके अष्ट मूलगूण कहते हैं। पञ्च अणुन्त्रोंसे अभिप्राय स्थूल हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह नामके पञ्च पापोंसे विरक्त होनेका है। इन व्रतोंके कथनके अनन्तर ही आचार्य-महोदयने उक्त पद्य दिया है।

( २ ) 'आदिपुराण' के प्रणेता श्रीजिनसेनाचार्य समन्तभद्रके इस उपर्युक्त कथनमें कुछ परिवर्तन करते हैं। अर्थात्, वे 'मधु-त्याग' को मूलगुणोंमें न मानकर उसके स्थानमें 'द्यूत-त्याग' को एक जुदा मूलगुण बतलाते हैं और शेष गुणोंका, समन्तभद्रके समान ही, ज्योंका त्यों प्रतिपादन करते हैं। यथा:—

हिंसाऽसत्यस्तेयादब्रह्मपरिग्रहाच्च वादरभेदात् ।

द्यूतान्मांसान्मध्याद्विरतिर्गृहिणोऽष्ट सन्त्यमी मूलगुणाः ॥

नहीं माल्ख जिनसेनाचार्यने 'मधुत्याग' को मूलगुणोंसे निकाल कर उसके स्थानमें 'द्यूतत्याग' को क्यों प्रविष्ट किया है। संभव है कि दक्षिण देशकी, जहाँ आचार्य महाराजका निवास था, उस समय

ऐसी ही परिस्थिति हो जिसके कारण उन्हें ऐसा करनेके लिये वाध्य होना पड़ा हो—वहाँ द्यूतका अधिक प्रचार हो और उससे जनताकी हानि देखकर ही ऐसा नियम बनानेकी जरूरत पड़ी हो—अथवा सातों व्यसनोंका मूलगुणोंमें समावेश कर देनेकी इच्छासे ही यह परिवर्तन स्वीकार किया गया हो। और ‘मधुविरति’ को इस बजहसे निकालना पड़ा हो कि उसके रखनेसे फिर मूलगुणोंकी प्रसिद्ध ‘अष्ट’ संस्थामें वाधा आती थी। अथवा उसके निकालनेकी कोई दूसरी ही बजह हो। कुछ भी हो, दूसरे किसी भी प्रधानाचार्यने, जिसने अष्ट मूलगुणोंका प्रतिपादन किया है, ‘मधुविरति’ को मूलगुण माननेसे इनकार नहीं किया और न ‘द्यूतविरति’ को मूलगुणोंमें शामिल किया है।

(३) ‘यशस्तिलक’ के कर्ता श्रीसोमदेवसूरि मध्य, मांस और मधुके त्यागरूप समन्तभद्रके तीन मूलगुणोंको तो स्वीकार करते हैं परंतु पंचाण्वतोंको मूलगुण नहीं मानते, उनके स्थानमें पंच उद्गुम्बर फलोंके—पुष्क, न्यग्रोघ, पिप्पलादिके—त्यागका विधान करते हैं और लिखते हैं कि आगममें गृहस्थोंके ये आठ मूलगुण कहे हैं। यथा:—

मध्यमांसमधुत्यागाः सहोदुम्बरपञ्चकैः ।

अष्टावेते गृहस्थानामुक्ता मूलगुणाः श्रुते ॥

‘भावसंग्रह’ के कर्ता देवसेन आचार्य भी इसी मतके निरूपक हैं। यथा:—

महुमज्जमंसविरह्य चाओ पुण उंचराण पञ्चण्हं ।

अहोदे मूलगुणा हवंति फुड्ड देसविरंयम्भि ॥ ३५६ ॥

‘पंचाध्यारी’ के कर्ता \*महोदयका भी यही मत है। और वे यहाँ तक लिखते हैं कि इन आठ मूलगुणोंके विना कोई नामका भी श्रावक नहीं होता। यथा:—

मध्यमांसमधुत्यागी त्यक्तोदुम्बरपंचकः ।  
नामतः श्रावकः ख्यातो नान्यथापि तथा गृही ॥

३०-७२६ ॥

पुरुषार्थसिद्धयुपायके निर्माता श्रीअमृतचंद्रसूरि भी इसी मतके पोषक हैं। यद्यपि उन्होंने, अपने ग्रंथमें, अहिंसा व्रतका वर्णन करते हुए इनका विधान किया है और इन्हें स्पष्टरूपसे ‘मूलगुण’ ऐसी संज्ञा नहीं दी है, तो भी ‘हिंसाके ल्यागकी इच्छा रखनेवालोंको पहले ही इन मध्यमांसादिकको छोड़ना चाहिए,’ ‘इन आठ पापके ठिकानोंको त्याग कर ही शुद्धत्वाद्विजन जिनधर्मकी देशनाके पात्र होते हैं;’ इन वचनोंसे अष्टमूलगुणका ही साफ़ आशय पाया जाता है। यथा:—

मध्यं मांसं क्षौद्रं पंचोदुम्बरफलानि यत्लेन ।

हिंसाव्युपरतकामैर्मोक्तव्यानि प्रथममेव ॥ ६१ ॥

अष्टावनिष्टुरुस्तरदुरितायतनान्यमूनि परिवर्ज्य ।

जिनधर्मदेशनाया भवंति पात्राणि शुद्धधियः ॥ ७४ ॥

उपर्युक्त चारों ग्रंथोंके अवतरणोंसे यह विलकुल स्पष्ट है कि इनके कर्ता आचार्योंने ‘पंच अणुव्रतों’ के स्थानमें ‘पंच उदुम्बर फलोंके त्याग’ का विधान किया है और इसलिए इन आचार्योंका शासन समन्तभद्र और जिनसेन दोनोंके शासनसे एकदम विभिन्न जान पड़ता

\* ‘पंचाध्यारी’के कर्ता कवि राजमह्नु हुए हैं, जिनका बनाया हुआ ‘लाटी-संहिता’ नामका एक श्रावकाचार ग्रंथ भी है। उसमें भी आपने अपना यह मत इसी श्लोकमें दिया है।

है। कहाँ पंचाणुव्रत और कहाँ पंचोद्गम्बर फलोंका त्याग। दोनोंमें जमीन आसमानकासा अन्तर पाया जाता है। वस्तुतः विचार किया जाय तो पंच उद्गम्बर फलोंका त्याग मांसके त्यागमें ही आ जाता है; क्योंकि इन फलोंमें चलते फिरते त्रसजीवोंका समूह साक्षात् भी दिखलाई देता है, इनके भक्षणसे मांसभक्षणका स्पष्ट दोप लगता है, इसीसे इनके भक्षणका नियेध किया जाता है। और इसलिये जो मांसभक्षणके त्यागी हैं वे प्रायः कभी इनका सेवन नहीं कर सकते। ऐसी हालतमें—मांस-त्याग नामका एक मूलगुण होते हुए भी—पंच उद्गम्बर फलोंके त्यागको, जिनमें परस्पर ऐसा कोई विशेष भेद नहीं है, पाँच अलग अलग मूलगुण करार देना और साथ ही पंचाणुव्रतोंको मूलगुणोंसे निकाल डालना एक बड़ी ही विलक्षण वातमाल्यम होती है। इस प्रकारका परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं होता। यह परिवर्तन कुछ विशेष अर्थ रखता है। इसके द्वारा मूलगुणोंका विषय बहुत ही हल्का किया गया है और इस तरहपर उन्हें अधिक व्यापक बनाकर उनके क्षेत्रकी सीमाको बढ़ाया गया है। वात असिलमें यह माल्यम होती है कि मूल और उत्तर गुणोंका विधान त्रितीयोंके वास्ते था। अहिंसादिक पंचव्रतोंका जो सर्वदेश ( पूर्णतया ) पालन करते हैं वे महाव्रती, मुनि अथवा यति आदिक कहलाते हैं और जो उनका एकदेश ( स्थूल रूपसे ) पालन करते हैं उन्हें देशव्रती, श्रावक अथवा देशयति कहा जाता है।

जब महाव्रतियोंके २८ मूलगुणोंमें अहिंसादिक पंच महाव्रतोंका वर्णन किया गया है तब देशव्रतियोंके मूलगुणोंमें पंचाणुव्रतोंका विधान होना स्वाभाविक ही है और इसलिए समन्तभद्रने पंच अणुव्रतोंको लिए हुए श्रावकोंके अष्ट मूलगुणोंका जो प्रतिपादन किया है वह युक्तियुक्त ही प्रतीत होता है। परंतु वादमें ऐसा जान पड़ता है कि जैन गृहस्थोंको परस्परके.

इस व्यवहारमें कि 'आप श्रावक हैं,' और 'आप श्रावक नहीं हैं' कुछ भारी असमंजसता प्रतीत हुई है। और इस असमंजसताको दूर करनेके लिए अथवा देशकालकी परिस्थितियोंके अनुसार सभी जैनियोंको एक श्रावकीय झंडेके तले लाने आदिके लिये जैनचार्योंको इस बातकी जखरत पड़ी है कि मूलगुणोंमें कुछ फेरफार किया जाय और ऐसे मूल-गुण स्थिर किये जायें जो व्रतियों और अव्रतियों दोनोंके लिये साधारण हों। वे मूलगुण मध्य, मांस और मधुके त्यागरूप तीन हो सकते थे, परंतु चैंकि पहलेसे मूलगुणोंकी संख्या आठ रुढ़ थी, इस लिये उस संख्याको ज्योंका त्वयों कायम रखनेके लिये उक्त तीन मूलगुणोंमें पंचाद्वय्वर फलोंके त्यागकी योजना की गई है और इस तरह पर इन सर्व-साधारण मूलगुणोंकी सृष्टि हुई जान पड़ती है। वे मूलगुण व्रतियों और अव्रतियों दोनोंके लिये साधारण हैं, इसका स्पष्टीकरण पंचाध्यायीके निम्न पद्धसे भले प्रकार हो जाता है:—

\* तत्र मूलगुणाश्चाष्टौ गृहिणां व्रतधारिणां ।

कच्चिद्व्रतिनां यस्मात् सर्वसाधारणा इमे ॥ ३०-७२३ ॥

परंतु यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि समन्तभद्र-द्वारा प्रतिपादित मूलगुणोंका व्यवहार अव्रतियोंके लिये नहीं हो सकता, वे व्रतियोंको ही लक्ष्य करके लिखे गये हैं, यही दोनोंमें परस्पर भेद है। अस्तु; इस प्रकार सर्वसाधारण मूलगुणोंकी सृष्टि होनेपर, यद्यपि, इन गुणोंके धारक अव्रती भी श्रावकों तथा देशव्रतियोंमें परिगणित होते हैं—सोम-देवने, पश्चात्तिलकमें, उन्हें साफ तौरसे 'देशयति' लिखा है—तो भी वास्तवमें उन्हें नामके ही श्रावक (नामतः श्रावकः) अथवा

\* यह पद 'लाटीसंहिता'में भी पाया जाता है।

देशयति समझना चाहिये, जैसा कि ऊपर उच्छृत किये हुए पंचाध्यारीके पद्य नं० ७२६ से प्रकट है। असिल श्रावक तो वे ही हैं जो पंच अणुव्रतोंका पालन करते हैं। और इस सब कथनकी पुष्टि शिवकोटि-आचार्यके निम्न वाक्यसे भी होती है, जिसमें पंच-अणुव्रतोंके पालन-सहित मध्य, मांस, और मधुके त्यागको 'अष्टमूलगुण' लिखा है और साथही यह बतलाया है कि पंच उद्घवरवाले जो अष्ट मूलगुण हैं वे अर्भकों—वालकों, मूर्खों, छोटों अथवा कमज़ोरों—के लिये हैं। और इससे उनका साफ़ तथा खास सम्बन्ध अव्रतियोंसे जान पड़ता है यथा:—

मद्यमांसमधुत्यागसंयुक्ताणुव्रतानि तुः ।

अष्टौ मूलगुणाः पंचोदुम्बरैश्चार्भकेष्वपि ॥ १९ ॥

—रत्नमाला

( ४ ) 'उपासकाचार'के कर्ता श्रीअमितगति आचार्य सोम-देवादि आचार्योंके उपर्युक्त मूलगुणोंमें कुछ वृद्धि करते हैं। अर्थात्, वे 'रात्रिभोजन-त्याग' नामके एक मूलगुणका, साथमें, और विधान करते हैं। यथा:—

मद्यमांसमधुरात्रिभोजन-क्षीरवृक्षफलवर्जनं त्रिधा ।

कुर्वते व्रतजिधृक्षया बुधास्तन्न पुष्यति निपेविते व्रतं ॥ ५-१ ॥

अमितगतिके इस कथनसे मूलगुण आठके स्थानमें नौ हो जाते हैं। और यदि 'क्षीरवृक्षफलवर्जन'को, एक ही मूलगुण माना जाय तो मूलगुणोंकी संख्या फिर पाँच ही रह जाती है। शायद इसी खयालसे आचार्य महाराजने अपने ग्रंथमें मूलगुणोंकी कोई संख्या निर्दिष्ट नहीं की। सिर्फ अन्तमें इतना ही लिख दिया है कि 'आदावेते स्फुटमिह गुणः'

निर्मला धारणीयाः ।' अर्थात् सबसे पहले ये निर्मल गुण धारण करने चाहिये । इस 'रात्रिभोजन-त्याग' के विषयमें आचार्योंका बहुत कुछ मत-भेद है, जिसका कुछ दिग्दर्शन आगेके पृष्ठोंमें कराया जायगा और इस लिये यहाँपर उसको छोड़ा जाता है । यहाँ सिर्फ़ इतना ही समझना चाहिये कि इन आचार्य महाशयका शासन इस विषयमें, दूसरे आचार्योंके शासनसे भिन्न है ।

( ५ ) पं० आशाधरजीने, अपने 'सागारधर्मामृत' में, यद्यपि उन्होंने अष्ट मूलगुणोंका 'स्वमत' रूपसे उल्लेख किया है जिनका सोमदेव आचार्यने प्रतिपादन किया है, और साथ ही समन्तभद्र तथा जिनसेनाचार्योंके मतोंको 'परमत' रूपसे सूचित किया है, तो भी उनका इस विषयमें कोई निश्चित एकमत मालूम नहीं होता । उन्होंने प्रायः सभीको अपनाया और सभीपर अपना हाथ रखा है । वे उपर्युक्त ( स्वमत-रूपसे प्रतिपादित ) मूलगुणोंके नाम और उनकी संख्याका निर्देश करते हुए भी टीकामें लिखते हैं कि 'च' शब्दसे नवनीत, रात्रिभोजन, अगालित जल आदिका भी त्याग करना चाहिये और इससे उक्त 'अष्ट' की संख्यामें बाधा आती है, इसकी कुछ पर्वाह नहीं करते । परन्तु कुछ भी सही, पं० आशाधरजीने, अपने उक्त ग्रंथमें, किसी शास्त्रके आधारपर, जिसका नाम नहीं दिया, एक दूसरे प्रकारके मूलगुणोंका भी उल्लेख किया है जिन्हें मैं यहाँपर उद्धृत करता हूँ:—

मद्यपलमधुनिशासनपञ्चफलीविरतिपञ्चकासनुती ।

जीवदयाजलगालनमिति च कचिदष्टमूलगुणाः ॥ २-१८ ॥

मालूम नहीं मूल गुणोंका यह कथन कौनसे आचार्यके मतानुसार लिखा गया है और उनका अथवां उनके ग्रंथका नाम, समन्तभद्रादिके

नामके सद्वा, क्यों सूचित नहीं किया गया। परंतु इसे छोड़िये, ऊपरके इस पद्धद्वारा जिन मूलगुणोंका उछेख किया गया है उनमेंसे शुखके पाँच मूलगुण तो वही हैं जो ऊपर 'अभितगति' आचार्यके कथनमें दिखलाये गये हैं। हाँ, उनमें इतनी बात नोट किये जानेकी जरूर है कि यहाँपर पंच उदुम्बरफलोंके समुदायको स्पष्टरूपसे 'पंचफली' शब्द-द्वारा एक मूलगुण माना गया है और इसलिये इससे भेरे उस कथनकी कि इन पाँचों उदुम्बरफलोंमें परस्पर ऐसा कोई विशेष भेद नहीं है कि जिससे इनके त्यागको अलग अलग मूलगुण करार दिया जाय, वहुत कुछ पुष्टि होती है। बाकी रहे तीन गुण आसनुति, जीवदया और जलगालन, ये तीनों यहाँ विशेष रूपसे वर्णन किये गये हैं। इनमें आसनुतिसे अभिप्राय परमात्माकी स्तुति अथवा देववंदनाका है। परंतु 'जीवदया' शब्दसे कौनसा क्रियाविशेष अभिमत है यह कुछ समझमें नहीं आया; वैसे तो मूलगुणोंका यह सारा ही कथन प्रायः जीवदयाकी प्रधानताको लिये हुए है, किर 'जीवदया' नामका अलग मूलगुण रखनेसे कौनसे आचरणविशेषका ग्रहण किया जाय, यह बात अभी जानने योग्य है। संभव है कि इससे अहिंसाणुव्रतका, अभिप्राय हो। परंतु कुछ भी हो, इतना जरूर कहना पढ़ेगा कि यह मत दूसरे आचार्योंके मतोंसे विभिन्न है। पं० आशाधरजीने भी, इस मतका उछेख करते हुए, एक प्रतिज्ञावाक्य-द्वारा इसे दूसरे आचार्योंके मतोंसे विभिन्न बतलाया है। वह वाक्य इस प्रकार है—

“अथ ग्रतिपाद्यानुरोधाद्वर्माचार्याणां स्त्राविरोधेन देशनानानात्वोपलंभाद्वयन्तरेणाष्मूलगुणानुद्देष्टमाह ।”

इस वाक्यसे यह भी स्पष्ट है कि प्रतिपाद्योंके अनुरोधसे—अर्थात्, जिस समय जैसे जैसे शिष्यों अथवा उपदेशपात्रोंकी वहुलता होती है उस समय उनकी आवश्यकताओं और परिस्थितियोंको लक्ष्य करके—धर्माचार्योंका उपदेश—उनका शासन—भिन्न छुआ करता है। और, इस लिये, इससे मेरे उस कथनका बहुत कुछ समर्थन होता है जिसे मैंने इस लेखके शुरूमें प्रकट किया है। साथ ही, उक्त वाक्यसे यह भी ध्वनित होता है कि धर्माचार्योंकी वह भिन्न देशना सूत्रोंसे—सिद्धान्तवाक्योंसे—अविरुद्ध होनी चाहिये। तभी वह ग्राह्य हो सकती है, अन्यथा नहीं। यह विलकुल सत्य है। मेरी रायमें मूलगुणोंका जो कुछ शासन-भेद ऊपर प्रकट किया गया है उसमें परस्पर सिद्धान्तभेद नहीं है—जैन सिद्धान्तोंसे कोई विरोध नहीं आता—और न इन भिन्न शासनोंमें जैनाचार्योंका परस्पर कोई उद्देश्यभेद ही पाया जाता है। सबोंका उद्देश्य ऋमशः सावचकमोंको त्याग करानेका मालूम होता है। हाँ, दृष्टिभेद, अपेक्षाभेद, विषयभेद, संख्याभेद और प्रतिपाद्योंकी स्थिति आदिका भेद जल्द है जिसके कारण उक्त शासनोंको भिन्न जल्द मानना पड़ेगा। और इस लिये यह कभी नहीं कहा जा सकता कि महावीर भगवानने ही इन सब भिन्न शासनोंका विधान किया था—उनकी वाणीमें ही ये सब मत इसी रूपसे प्रकट हुए थे—ऐसा मानना और समझना नितान्त भूल होगा। वास्तवमें ये सब शासन पापरोगकी शांतिके नुसखे (Prescriptions) हैं—ओषधिकल्प हैं—जिन्हें आचार्योंने अपने अपने देशों तथा समयोंके शिष्योंकी प्रकृति और योग्यता आदिके अनुसार तय्यार किया है। और इस लिये सर्वदेशों, सर्वसमयों और सर्व प्रकारकी प्रकृतिके व्यक्तियोंके लिये अमुक एक ही नुसखा

उपयोगी होगा, ऐसा हठ करनेकी जरूरत नहीं है। जिस समय और जिस प्रकारकी प्रकृति आदिके व्यक्तियोंके लिये जैसे ओषधिकल्पोंकी जरूरत होती है, बुद्धिमान वैद्य, उस समय और उस प्रकारकी प्रकृति आदिके व्यक्तियोंके लिये वैसे ही ओषधिकल्पोंका प्रयोग किया करते हैं। अनेक नये नये ओषधिकल्प गढ़े जाते हैं, पुरानोंमें फेरफार किया जाता है और ऐसा करनेमें कुछ भी आपत्ति नहीं होती, यदि वे सब रोगशांतिके विरुद्ध न हों। इसी तरह पर देशकालानुसार किये हुए आचार्योंके उपर्युक्त भिन्न शासनोंमें भी कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। क्यों कि वे सब जैनसिद्धान्तोंसे अविरुद्ध हैं। हाँ, आपेक्षिक दृष्टिसे उन्हें प्रशस्त अप्रशस्त, सुगम दुर्गम, अल्पफलसाधक वहुफल-साधक इत्यादिक जरूर कहा जा सकता है, और इस प्रकारका भेद आचार्योंकी योग्यता और उनके तत्त्वालीन विचारोंपर निर्भर है। अस्तु; इसी सिद्धान्ताविरोधकी दृष्टिसे यदि आज कोई महात्मा, वर्तमान देश-कालकी स्थितियोंको लक्ष्यमें रखकर, उपर्युक्त मूल गुणोंमें भी कुछ फेर-फार करना चाहे और उदाहरणके तौरपर १ मांसविरति, २ मदविरति, ३ पञ्चेदियधातविरति, ४ हस्तमैथुनविरति, ५ शास्त्राऽध्ययन ६ आपस्तवन, ७ आलोकितपानभोजन, और ८ स्ववचनपालन नामके अष्ट मूलगुण स्थापित करे तो वह खुशीसे ऐसा कर सकता है, उसमें कोई आपत्ति किये जानेकी जरूरत नहीं है; और न यह कहा जा सकता है कि उसका ऐसा विधान जिनेन्द्रदेवकी आज्ञाके विरुद्ध है अथवा महावीर भगवानके शासनसे बाहर है; क्योंकि उक्त प्रकारका विधान जैनसिद्धान्तोंके विरुद्ध नहीं है। और जो विधान जैनसिद्धा-न्तोंके विरुद्ध नहीं होता वह सब महावीर भगवानके अनुकूल है। उसे प्रकारान्तरसे जैनसिद्धान्तोंकी व्याख्या अथवा उनका व्याव-

हारिक रूप समझना चाहिये और इस दृष्टिसे उसे महावीर भगवानका शासन भी कह सकते हैं। परंतु भिन्न शासनोंकी हालतमें महावीर भगवानने यही कहा, ऐसा ही कहा, इसी क्रमसे कहा, इत्यादिक मानना मिथ्या होगा और उसे प्रायः मिथ्यादर्शन समझना चाहिये। अतः उससे बचकर यथार्थ वस्तुस्थितिको जानने और उसपर ध्यान रखनेकी कोशिश करनी चाहिये। इसीमें श्रेय और इसीमें सर्वका कल्याण है।

यह तो हुई दिग्म्बर जैनाचार्योंके शासन-भेदकी बात, अब श्वेताम्बराचार्योंके शासन-भेदको लीजिये। श्वेताम्बरग्रन्थोंके देखनेसे माल्हम होता है कि उन्होंने इस प्रकारके मूलगुणोंका कोई विधान नहीं किया और इसलिये, इस विषयमें, उनका शासनभेद भी कुछ दिखलाया नहीं जा सकता। श्वेताम्बरग्रन्थोंमें मध्यमांसादिकके त्यागरूप उक्त मूलगुणोंका प्रायः सारा कथन ‘भोगोपभोगपरिमाण’ नामके दूसरे गुणवत्तमें पाया जाता है। जैसा कि श्रीहेमचंद्राचार्यप्रणीत ‘योगशास्त्र’के निम्न वाक्योंसे प्रकट है:—

मध्यं मांसं नवनीतं मधूदुम्बरपञ्चकम् ।

अनंतकायमज्ञातफलं रात्रौ च भोजनं ॥ ३-६ ॥

आमगोरससंपृक्तं द्विदलं पुष्पितोदनं ।

दध्यहद्वितीयातीतं कुथितान्नं विवर्जयेत् ॥ ३-७ ॥

परंतु ‘आवकप्रज्ञसि’ नामके मूल ग्रन्थमें, जो उमाखाति आचार्यका बनाया हुआ कहा जाता है, ऐसा कोई कथन नहीं है। अर्थात्, उसके कर्ता आचार्य महाराजने ‘भोगोपभोगपरिमाण’ नामके गुणवत्तमें उक्त मध्यमांसादिकके त्यागका कोई विधान नहीं किया। हाँ, दीकाकारने उक्त गुणवत्तधारी आवकके लिये निरवद्य (निर्दोष) आहा-

रका विधान जरूर किया है। साथ ही, 'वृद्धसंप्रदाय' रूपसे कुछ प्राकृत गद्य भी उद्घृत किया है जिसमें उक्त ब्रतीके मद्य-मांसादिक और पंचोदुम्बरादिकके त्यागकी सूचना पाई जाती है। परंतु 'वृद्धसंप्रदाय'से अभिप्राय कौनसे संप्रदाय-विशेषसे है यह कुछ माल्हम नहीं हुआ। श्रावकधर्मके प्रतिपादन-विषयमें, श्वेताम्बरसम्प्रदायका सबसे प्राचीन ग्रंथ 'उवासगदसाओ' (उपासक-दशा) सूत्र है, जिसे 'उपासका-ध्ययन' तथा द्वादशांगवाणीका 'सप्तम अंग' भी कहते हैं और जो महावीर भगवानके साक्षात् शिष्य 'सुधर्मास्वामी' गणधरका चनाया हुआ कहा जाता है। इस ग्रंथमें भी, उक्त गुणवत्तका कथन करते हुए, मद्य-मांसादिकके त्यागका स्पष्ट रूपसे कोई विधान नहीं किया गया। श्रावकधर्म-विषयक उनके इस सर्वप्रधान ग्रन्थमें, कथाओंको छोड़कर, श्रावकीय वारह ब्रतोंके प्रायः अतीचारोंका ही वर्णन पाया जाता है, ब्रतोंके स्वरूपादिकका और कुछ भी विशेष वर्णन नहीं है। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिए कि इस ग्रंथमें श्रावकधर्मका पूरा विधिविधान नहीं है। इसीसे शायद 'श्रावकप्रज्ञति' के टीका-कार श्रीहरिभद्रसूरिने, श्रावकोंके लिये निरवद्य आहारादिकका विधान करते हुए, यह सूचित किया है कि 'सूत्रमें (उपासक दशामें) देशविरतिके सम्बन्धमें नियमित रूपसे 'इदमेव इदमेव' ऐसा कोई कथन नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ अतीचारोंका उल्लेख किया गया है। इस लिये देशविरतिकी विधि विचित्र है और उसे अपनी बुद्धिसे पूरा करना चाहिए।' हरिभद्रसूरिके वे वाक्य इस प्रकार हैं:—

"विचित्रत्वाच्च देशविरतेश्चित्रोऽत्रापवादः इत्यत एवेदमेवे-  
दमेवेति वा सूत्रे न नियमितमतिचाराभिधानाच्च विचित्रस्तद्विधिः  
स्वधियावसेय इति ।"

इन वाक्योंसे यह भी भले प्रकार स्पष्ट है कि श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें 'उपासकदशा' सूत्रसे बाहर श्रावकधर्मका जो कुछ भी विशेष कथन पाया जाता है वह सब पीछेरे आचार्योंद्वारा अपनी अपनी दृष्टिके अनुसार निर्धारित तथा पल्लवित किया हुआ कथन है। और इस लिये उसे भी सिद्धान्ताविरोधकी दृष्टिसे ही ग्रहण करना चाहिए और उसमें भी देश-कालानुसार यथोचित फेरफार किया जा सकता है। यहाँपर यह बात बड़ी ही विचित्र मालूम होती है कि श्वेताम्बर आचार्योंने, मध्यमांसादिकके त्यागका यदि विद्वान् किया भी है तो वह दूसरे गुणव्रतमें जाकर किया है। और इस लिये इससे पहली अवस्थाओंवाले श्रावकों—अहिंसादिक अणुव्रतोंके पालने वालों—अथवा व्यावहारिक दृष्टिसे जैनीमात्रके लिये उनके सेवनका कोई निषेध नहीं है। ऐसा क्यों किया गया? क्यों श्रावकमात्र अथवा जैनगृहस्थमात्रके लिये मध्यमांसादिकके त्यागका नियम नहीं रखा गया? और उनके त्यागको मूलगुण नहीं बनाया गया? जब सकलविरतियोंके लिये मूलोत्तरगुणोंकी व्यवस्था है तब देशविरतियोंके लिये वह क्यों नहीं रखकी गई? क्यों ऐसा कमसे कम आचरण निर्देष नहीं किया गया जिसका पालन करना सबके लिये—जैनीमात्रके लिये—जरूरी हो और जिसके पालनके बिना कोई भी 'जैनी' अथवा 'महावीरभगवानका उपासक' ही न कहला सकता हो? ये सब बातें ऐसी हैं जिनपर विचार किये जानेकी जरूरत है। संभव है कि ऐसा करनेमें श्वेताम्बर आचार्योंका कुछ उद्देश्यभेद हो। बन्धनोंको ढीला रखकर, वौद्धोंके सदृश समाज-दृष्टिका उनका आशय हो। परन्तु कुछ भी हो, इस विषयमें, निश्चित रूपसे, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। अवसर मिलनेपर, इस सम्बन्धमें अपनें विशेष विचार फिर किसी समय प्रकट किये जायेंगो।

## अणुव्रत और रात्रिभोजनविरति

—॥०:०:०॥—

**ज्ञै**नधर्ममें, हिंसादिक पापोंकी देशतः निवृत्ति (स्थूलरूपसे त्याग)

का नाम 'अणुव्रत' और उसकी प्रायः सर्वतः निवृत्तिका नाम 'महाव्रत' है। ब्रतोंकी ये अणु और महत् संज्ञाएँ परस्पर सापेक्षिक हैं। वास्तवमें, सर्वसावधयोगकी निवृत्तिको 'ब्रत' कहते हैं। वह निवृत्ति एकदेश होनेसे 'अणुव्रत' और सर्वदेश होनेसे 'महाव्रत' कहलाती है। गृहस्थ लोग समस्त सावधयोगका—हिंसाकर्मोंका—पूरी तौरसे त्याग नहीं कर सकते इस लिये उनके लिये आचार्योंने अणुरूपसे कुछ ब्रतोंका विधान किया है, जिनकी संख्या और विषय-संबंधमें कुछ आचार्योंके परस्पर मत-भेद है। उसी मत-भेदको स्थूलरूपसे दिखलानेका अब यत्न किया जाता है। साथ ही, रात्रिभोजनविरतिके सम्बन्धमें जो आचार्योंका शासनभेद है उसे भी कुछ दिखलानेकी चेष्टा की जायगी:—

स्वामीसमन्तभद्राचार्यने रत्नकरंडश्रावकाचारमें, कुन्दकुन्दमुनिराजने चारित्रपादुड़में, उमास्वातिमुनीन्द्रने तत्त्वार्थसूत्रमें, सोमदेवसूरिने यशस्तिलकमें, वसुनन्दीआचार्यने श्रावकाचारमें, अमितगतिमुनिने उपासकाचारमें और श्वेताम्बराचार्य हेमचंद्रने योगशास्त्रमें अणुव्रतोंकी संख्या पाँच दी है जिनके नाम प्रायः इस प्रकार हैं:—

१ अहिंसा, २ सत्य, ३ अचौर्य, ४ ब्रह्मचर्य ५ परिग्रहपरिमाण । ये पाँचों ब्रत अपने प्रतिपक्षी स्थूल हिंसादिक पापोंसे विरतिरूप वर्णन किये गये हैं। यह दूसरी बात है कि किसी किसी ग्रंथमें इनका दूसरे पर्यायनामोंसे उल्लेख किया गया है, परंतु नामविषयक आशय सबका एक है, इसमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। श्वेताम्बरोंके 'उपासकदशा'

सूत्रमें भी इन्होंका उल्लेख है और उनका 'श्रावकप्रज्ञस्ति' नामका प्रथम भी इन्होंका विधान करता है। इन व्रतोंके संख्याके विपर्यमें श्रीकुन्द-कुन्दाचार्य लिखते हैं कि 'पंचेवणुव्ययाहं' ( पंचैव अणुव्रतानि ) —अर्थात्, अणुव्रत पाँच ही हैं। वसुनन्दी आचार्य भी अपने श्रावकाचारमें यही वाक्य देते हैं। सोमदेवने इसका संस्कृतानुवाद दिया है और श्रावकप्रज्ञस्तिमें भी यही ( पंचेवणुव्ययाहं ) वाक्य ज्योंका त्वयों पाया जाता है। श्रावकप्रज्ञस्तिके ठीकाकार श्रीहारिभद्रसूरि इस वाक्यपर लिखते हैं—

**"पंचेति संख्या । एवकारोऽवधारणे । पंचैव न चत्वारि पद्मा ।"**

अर्थात्—पाँचकी संख्याके साथ 'एव' शब्द अवधारण अर्थमें है जिसका आशय यह है कि अणुव्रत पाँच ही हैं, चार अधना छह नहीं हैं।

इस तरहपर बहुतसे आचार्योंने अणुव्रतोंकी संख्या सिर्फ पाँच दी है और उक्त पाँचोंही व्रतोंको अणुव्रत रूपसे वर्णन किया है। परंतु समाजमें कुछ ऐसे आचार्य तथा विद्वान् भी हो गये हैं जिन्होंने उक्त पाँच व्रतोंको ही अणुव्रत रूपसे स्वीकार नहीं किया, वल्कि 'रात्रिभोजनविरति' नामके एक छठे अणुव्रतका भी विधान किया है। जैसा कि नीचे लिखे कुछ प्रमाणोंसे प्रकट है—

क—“अस्य ( अणुव्रतस्य ) पंचधात्वं वहुमतादिष्यते  
कच्चित्तु रात्र्यभोजनमपि अणुव्रतमुच्यते । तथा भवति ॥”  
—सागारधर्माभृतठीका ।

इन वाक्योंद्वारा पं० अशाधरजीने, जो १३ वीं शताब्दीके विद्वान् हैं, यह सूचित किया है कि 'अणुव्रतोंकी यह पंच संख्या वहुमतकी अपेक्षासे है। कुछ आचार्योंके मतसे 'रात्रिभोजनविरति' भी एक अणुव्रत है, सो वह अणुव्रत ठीक ही है।'

**ख—व्रतत्राणाय कर्तव्यं रात्रिभोजनवर्जनम् ।**

**सर्वथान्नान्निवृत्तेस्तत्प्रोक्तं पष्टमणुव्रतम् ॥ ५-७० ॥**

—आचारसारः ।

यह वाक्य श्रीवीरनन्दी आचार्यका है, जो आजसे आठसौ वर्ष पहले, विक्रमकी १२ वीं शताब्दीमें, हो गये हैं। इसमें कहा गया है कि ‘( मुनिको ) अहिंसादिक व्रतोंकी रक्षाके लिये सर्वथा रात्रिभोजनका त्याग करना चाहिये और अन्नकी निवृत्तिसे वह रात्रिभोजनका त्याग छठा अणुव्रत कहा जाता है, अथवा कहा गया है।’

**ग—“रात्रावन्नपानखाद्यलेहोभ्यश्चतुभ्यः सत्वानुकंपया विरमणं  
रात्रिभोजनविरमणं पष्टमणुव्रतम् ॥”**

**“ वधादसत्याचौर्याच्चकामादग्रंथान्निवर्तनम् ।  
पञ्चधाणुव्रतं रात्र्यसुक्तिः पष्टमणुव्रतम् ॥”**

—चारित्रसारः ।

ये वचन श्रीनेमिचंद्र सिद्धान्तचक्रवर्तीके शिष्य चामुण्डरायके हैं, जो आजसे लगभग एक हजार वर्ष पहले, विक्रमकी ११ वीं शताब्दीके शुरूमें, हो गये हैं। इन वचनोंद्वारा स्पष्टरूपसे यह वतलाया गया है कि रात्रिभोजनत्यागको छठा अणुव्रत कहते हैं और यह उन पंच प्रकारके अणुव्रतोंसे भिन्न है जो हिंसाविरति आदि नामोंसे कहे गये हैं। यहाँपर इतना विशेष और है कि वीरनन्दी आचार्यने तो अन्नसे निवृत्त होनेको छठा अणुव्रत वतलाया है परंतु चामुण्डराय अन्न, पान, खाद्य और लेहा, ऐसे चारों प्रकारके आहारके त्यागको छठा अणुव्रत प्रतिपादन करते हैं। दोनों विद्वानोंके कथनोंमें यह परस्पर भेद क्यों? इसमें जरूर कोई गुस रहस्य जान पड़ता है। जब महाक्रती मुनियोंको भी रात्रि-

भोजनके त्यागका ब्रतोंसे पुथकरूप उपदेश दिया गया है और उनसे भोजनका सर्वथा त्याग—चारों प्रकारके आहारका त्याग—कराया गया है तब अणुव्रती गुहस्थोंको—खासकर ब्रतप्रतिमाधारी श्रावकोंको—इस विषयमें उनके विलक्षण समकक्ष रखना—उनसे भी वरावरका त्याग कराना—कहाँ तक न्याय्य है, और इससे अणुव्रत और महाव्रतके त्यागमें परस्पर कुछ विशेषता रहती है या कि नहीं, यह बात हृदयमें जल्द खटकती है।

**प्रायः** ऐसा माल्हम होता है कि जिन विद्वानोंने श्रावककी छठी प्रतिमाको दिवामैथुनत्यागरूपसे वर्णन किया है—रात्रिभोजनत्यागरूपसे नहीं—उन्होंने दूसरी ब्रतप्रतिमामें या उससे भी पहले रात्रिभोजनका सर्वथा त्याग करा दिया है। और जिन्होंने छठी प्रतिमाको रात्रिभोजन-त्यागरूपसे प्रतिपादन किया है उन विद्वानोंने या तो रात्रिभोजन-त्यागका उससे पहले अपने ग्रंथमें उपदेश ही नहीं दिया और या उसका कुछ मोटे रूपसे त्याग कराया है। यहाँपर दोनोंके कुछ उदाहरण पाठकोंके सामने रखें जाते हैं जिससे रात्रिभोजनत्याग-विषयमें आचार्योंका मत-भेद और भी स्पष्टताके साथ उन्हें व्यक्त हो जायः—

१ वसुनन्दी आचार्यने, अपने श्रावकाचारमें, छठी प्रतिमा ‘दिवामैथुनत्याग’ (दिनमें मैथुन नहीं करना) करार दी है और रात्रिभोजनका त्याग आप पहली प्रतिमावालेके वास्ते आवश्यक ठहराते हैं। आपने लिखा है कि ‘रात्रिभोजनका करनेवाला ग्यारह प्रतिमाओंमेंसे पहली प्रतिमाका धारक भी नहीं हो सकता।’ यथा:—

एयादसेसु पंढगं वि जदो णिसिभोयणं कुण्ठतस्स ।  
ठाणं ण ठाइ तम्हा णिसिभुत्तं परिहरे णियमा ॥ ३१४ ॥

२ अमितगति आचार्यने भी, अपने उपासकाचारमें, छठी प्रतिमाको 'दिवामैथुनत्याग' वर्णन किया है और वे रात्रिभोजनत्यागका विधान ब्रतोंके उपदेशसे भी पहले करते हैं, जिससे माल्हम होता है कि वे पाक्षिक तथा दर्शनिक श्रावकके लिये उसका नियम करते हैं; जैसा कि पहले अष्टम्लगुण-संबंधी लेखमें प्रकट किया गया है।

३ पं० वामदेव भी, अपने 'भावसंप्रह' में, दर्शनिक श्रावक अर्थात् पहली प्रतिमाधारकके लिये रात्रिभोजनका त्याग आवश्यक बतलाते हैं यथा:—

### दर्शनिकः प्रकुर्वति रात्रिभोजनवर्जनम् ।

४ पं० आशाधरजीका भी मत छठी प्रतिमाके विषयमें 'दिवामैथुनत्याग' का है। उन्होंने अपने सागरधर्मामृतमें रात्रिभोजनके त्यागका विधान पाक्षिक श्रावकसे प्रारंभ किया है और उसे क्रमसे बढ़ाया है। पाक्षिक श्रावकसे सामान्यतया भोजनका—अन्नका—त्याग कराकर दर्शनिक श्रावकके त्यागमें कुछ विशेषता की है—उसके लिये दिनके प्रथम मुहूर्त और अन्तिम मुहूर्तमें भी भोजनका निषेध किया है, और साथ ही, रोगनिवृत्ति तथा स्वास्थ्यरक्षाके लिये रात्रिको जल-फल-घृत-दुधादिकका सेवन भी दूषित ठहराया है—और अन्तमें फिर व्रतिक श्रावकसे चारों प्रकारके भोजनका सदाके लिये त्याग कराकर इस रात्रिभोजनके कथनको पूरा किया है।

५ श्रीचामुङ्डराय भी इसी प्रकारके विद्वानोंमें हुए हैं। उन्होंने भी चारित्रसारमें छठी प्रतिमा 'दिवामैथुनत्याग' स्थापित की है। और इसलिये वे दूसरी प्रतिमामें ही पूरी तौरसे रात्रिभोजनके त्यागका विधान करते हैं। उन्हें वे विधिवाक्य ऊपर उद्धृत किये जा चुके हैं।

ये तो हुए प्रथम प्रकारके विद्वानोंके उदाहरण, अब दूसरे प्रकारके विद्वानोंके भी कुछ उदाहरण, लीजिये:—

६ स्वामीसमन्तभद्राचार्यने, रत्नकरंडकमें ‘रात्रिभोजनविरति’ को छठी प्रतिमा बतलाया है, और उससे पहले ग्रंथभरमें कहीं भी रात्रिभोजनके त्यागका विधान नहीं किया है। वे चारों प्रकारके आहारका इसी प्रतिमामें त्याग कराते हैं। यथा:—

अन्नं पानं खाद्यं लेहं नाश्वाति यो विभावर्याम् ।  
स च रात्रिभुक्तिविरतः सत्वेष्वनुकम्पमानमनाः ॥

७ ब्रह्मनेमिदत्तने भी अपने ‘धर्मोपदेशपीयूषवर्ष’ नामके श्रावकाचारमें, समन्तभद्रके सद्वश ‘रात्रिभोजनविरति’ को ही छठी प्रतिमा करार दिया है और उसी तरहपर चारों प्रकारके आहारका उसमें त्याग कराया है। यथा:—

अन्नं पानं तथा खाद्यं लेहं रात्रौ हि सर्वदा ।  
नैव भुक्ते पवित्रात्मा स षष्ठुः श्रावको मतः ॥

परंतु नेमिदत्तने इससे पहले भी अपने ग्रंथमें रात्रिभोजनका कुछ त्याग कराया है। लिखा है कि ‘रात्रिमें यदि सामान्यतया जल, ताम्बूल और औषधका ग्रहण करते हो तो करो परन्तु फलादिको ग्रहण न करना चाहिये’ और इसके समर्थनमें एक प्राकृत वाक्य भी दिया है। यथा:—

“सामान्यतो निशायां च जलं ताम्बूलमौषधं ।  
गृह्णन्ति चैव गृह्णन्तु नैव ग्राह्यं फलादिकं ॥  
यदुक्तं । तम्भोलो सहु जलमुहवि, जो अंथविए सूरि ।  
भोग्गासणि फल अहिलसइ, ते किउ दंसणु दूरि ॥”

कविराजमल्ल भी इसी प्रकारके विद्वानोंमें हुए हैं। उन्होंने 'लाटी-संहिता' नामक अपने श्रावकाचारमें 'रात्रिभोजनविरति' को छठी प्रतिमा करार देकर, यद्यपि रात्रिभोजनका सर्वांगत्याग उसीमें कराया है परन्तु पहली प्रतिमामें भी उसके एकदेश त्यागका विधान किया है—जिसे आप 'दिग्मात्र' त्याग बतलाते हैं—और लिखा है कि 'पहली प्रतिमामें रात्रिको अन्नमात्रादि स्थूल भोजनका निषेध है किन्तु जलादिकके पीने और ताम्बूलादिकके खानेका निषेध नहीं है। इनका तथा औपधादिकके लेनेका सर्वथा निषेध छठी प्रतिमामें होता है।' यथा:—

ननु रात्रिभुक्तिस्यागो नात्रोद्देश्यस्त्वया कचित् ।  
षष्ठसंज्ञिकविख्यातप्रतिमायामास्ते यतः ॥ ४१ ॥  
सत्यं सर्वात्मना तत्र निशाभोजनवर्जनं ।  
हेतोः किंत्वत्र दिग्मात्रं सिद्धं स्वानुभवागमात् ॥ ४२ ॥  
अस्ति कथिद्विशेषोऽत्र स्वल्पाभासोऽर्थतो महान् ।  
सातिचारोऽत्र दिग्मात्रे तत्रातीचारवर्जितः ॥ ४३ ॥  
निषिद्धमन्नमात्रादिस्थूलभोज्यं व्रते दृशः ।  
न निषिद्धं जलाद्यत्र ताम्बूलाद्यपि वा निशि ॥ ४४ ॥  
तत्र ताम्बूलतोयादि निषिद्धं यावदंजसा ।  
ग्राणान्तेष्वि न भोक्तव्यमौपधादि मनीषिणा ॥ ४५ ॥  
—द्वितीयः सर्गः ।

बीरनन्दी आचार्यका श्रावकाचार-विपयक कोई ग्रंथ मुझे उपलब्ध नहीं हुआ। परन्तु चूँकि आपने, रात्रिभोजनके त्यागमें, सिर्फ अन्नकी निवृत्तिसे ही छठे अणुन्नतका होना सूचित किया है इसलिये आप इस द्वितीयवर्गके ही विद्वान् माल्हम होते हैं और संभवतः यही वजह है कि-

आपके और चासुंदरायके छठे अणुव्रतके स्वखण्डकथनमें परस्पर भेद 'पाया जाता है। यदि ऐसा नहीं है—अर्थात्, वीरनन्दी प्रथम वर्गके विद्वानोंमें शामिल हैं—तो कहना होगा कि आपके उपर्युक्तिखित पदमें 'अन्नात्' पद उपलक्षण है और इसलिये उसकी निवृत्तिसे छठे अणुव्रतमें रात्रिके समय अन्न, पान खाद्यादिक सभी प्रकारके आहारका त्याग कराया गया है। ऐसी हालतमें फिर महाव्रत और अणुव्रतके त्यागमें कोई विशेषता नहीं रहेगी। परंतु विशेषता रहो अथवा मत रहो, और वीरनन्दी प्रथम वर्गके विद्वान् हों अथवा दूसरे वर्गके, पर इसमें सद्देह नहीं कि ऊपरके इन सब अवतरणोंसे रात्रिभोजन-विषयक आचार्योंका शासनभेद बहुत कुछ व्यक्त हो जाता है और साथ ही छठी प्रतिमाका नाम और स्वखण्डसंबन्धी कुछ मतभेद भी 'पाठकोंके सामने आ जाता है। अस्तु ।

अब मैं फिर अपने उसी छठे अणुव्रतपर आता हूँ, और देखता हूँ : कि उसका कथन कितना पुराना है—

ध—विक्रमकी १० वीं शताब्दीके विद्वान् श्रीदेवसेन आचार्य, अपने 'दर्शनसार' नामक प्रथमें, कुमारसेन नामके एक सुनिके द्वारा विक्रमराजाकी मृत्युसे ७५३ वर्षबाद काष्ठासंघकी उत्पत्तिका वर्णन करते हुए, लिखते हैं कि कुमारसेनने छठे अणुव्रतका (छहुं च अणुव्रद्दणाम) विधान किया है। इससे माल्यम होता है कि रात्रिभोजनत्याग नामका छठा अणुव्रत आजसे बारहसौ वर्षसे भी अधिक समय पहले माना जाता था। परंतु इस कथनसे किसीको यह नहीं समझ लेना चाहिये कि कुमारसेन नामके आचार्यने ही इस अणुव्रतकी ईजाद की है—उन्होंने ही सबसे पहले इसका उपदेश दिया है। ऐसा नहीं है।

उनसे पहले भी कुछ आचार्योद्वारा यह अणुव्रत माना जाता था; जैसा कि, इस लेखमें, इसके बाद ही दिखलाया जायगा और इसलिये कुमार-सेनके द्वारा इस व्रतके विधानका सिर्फ़ इतना ही आशय लेना चाहिये कि उन्होंने इसे अपने सिद्धान्तोंमें स्वीकार किया था।

‘—श्रीपूज्यपाद स्वामीने, अपने ‘सर्वार्थसिद्धि’ नामक ग्रंथके सातवें अध्यायमें, प्रथम सूत्रकी व्याख्या करते हुए, ‘रात्रिभोजन-विरमण’ नामके छठे अणुव्रतका उद्देश इस प्रकारसे किया है:—

“ननु च पष्टमणुव्रतमस्ति रात्रिभोजनविरमणं तदिहोपसंख्यातव्यं। न भावनास्वन्तर्भावात्। अहंसाव्रतभावना हि वक्ष्यन्ते। तत्र आलोकितपानभोजनभावना कार्येति।”

इससे मालूम होता है कि श्रीपूज्यपादके समयमें, जिनका अस्तित्व-काल विक्रमकी छठी शताब्दीका प्रायः पूर्वी\* माना जाता है, रात्रिभोजनविरमण नामका छठा अणुव्रत प्रचलित था।

परन्तु चूँकि उमास्वाति आचार्यने तत्त्वार्थसूत्रमें इस छठे अणुव्रतका विधान नहीं किया इसलिये, आचार्य पूज्यपादने अपने ग्रंथमें इसका एक विकल्प उठाकर—अर्थात्, यह प्रश्न खड़ा करके कि ‘जब रात्रिभोजनविरमण नामका छठा अणुव्रत भी है तब यहाँ व्रतोंके प्रतिपादक इस सूत्रमें उसका भी समेलन और परिणाम

\* देवसेनाचार्यने ‘दर्शनसार’ ग्रंथमें लिखा है कि श्रीपूज्यपादके शिष्य वञ्चनन्दीके द्वारा वि० सं० ५२६ में द्राविडसंघकी उत्पत्ति हुई है। पूज्यपाद-स्वामी गंगराजा ‘दुर्विनीत’ के समयमें हुए हैं। दुर्विनीत राजा उनका शिष्य था, जिसका राज्यकाल ई० सन् ४८२ से ५२२ तक कहा जाता है। इससे पूज्यपादका उक्त समय प्रायः ठीक मालूम होता है।

‘होना चाहिये था’ उत्तरमें बतलाया है कि ‘इस व्रतका अहिंसाव्रतकी आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें अन्तर्भाव है’ इसलिये यहाँ पृथक रूपसे कहने और गिननेकी जखरत नहीं हुई। और इस तरहपर उक्त प्रश्नके उत्तरकी भरपाई करके सूत्रकी अनुपपत्ति अथवा त्रुटिका परिहार किया है। यद्यपि इस कथनसे आचार्यमहोदयका छठे अणुव्रतके विषयमें कोई विरुद्ध मत मालूम नहीं होता—बल्कि कथन-शैलीसे उनकी इस विषयमें प्रायः अनुकूलता ही पाई जाती है—तो भी ग्रायः मूल ग्रंथके अनुरोधादिसे उस समय उन्होंने उक्त प्रकारका उत्तर देना ही उचित समझा ऐसा जान पड़ता है। अकलंकदेवने भी, अपने राज-वार्तिकमें पूज्यपादके वाक्योंका प्रायः अनुसरण और उद्धरण करते हुए, रात्रिभोजनविरतिको छठा अणुव्रत प्रकट किया है (तदपि षष्ठमणुव्रतं) और उसके विषयमें वे ही विकल्प उठाकर उसे आलोकितपानभोजन-नामकी भावनामें अन्तर्भूत किया है\*। साथ ही, आलोकितपानभोजनमें प्रदीपादिके विकल्पोंको उठाकर और नानारंभदोषादिकके द्वारा उनका समाधान करके कुछ विशेष कथन भी किया है। परन्तु वस्तुतः रात्रिभोजनविरति नामके छठे अणुव्रतका आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें अन्तर्भाव होता है या नहीं, यह बात अभी विचारणीय है। और इसके लिये सबसे पहले हमें अहिंसाणुव्रतका स्वरूप देखना चाहिये। अर्थात्, यह मालूम करना चाहिये कि अहिंसाणुव्रतके धारकके वास्ते कितनी और किसप्रकारकी हिंसाके त्यागका विधान किया गया है। यदि अहिंसा अणुव्रतके स्वरूपमें—अहिंसा महाव्रतके स्वरूपमें नहीं—रात्रिभोजनका त्याग नियमसे

\* यथा—स्यान्मतमिह रात्रिभोजनविरत्युपसंख्यानं कर्तव्यं तदपि षष्ठमणुव्रतमिति । तत्र । किं कारणं भावनान्तर्भावात् ।  
—राजवार्तिकम् ।

आजाता है तब तो उसकी भावनामें भी उसका समावेश हो सकता है और यदि मूल अहिंसा अणुव्रतके स्वरूपमें ही रात्रिभोजनका त्याग नहीं बनता—लाज्जमी नहीं आता—तब फिर उसकी भावनामें ही उसका समावेश कैसे हो सकता है। क्योंकि भावनाएँ ब्रतोंकी स्थिरताके लिये कही गई हैं। जो बात मूलमें ही नहीं उसकी फिर स्थिरता ही क्या की जा सकती है? अतः सबसे पहले हमें अहिंसाणुव्रतके स्वरूपको सामने रखना चाहिये और तब उसपरसे विचार करना चाहिये कि उसकी आलोकितपानभोजन (देखकर खानापीना) नामकी भावनामें रात्रिभोजनविरतिका अन्तर्भूत होता है या नहीं। अहिंसाणुव्रतका स्वरूप स्वामीसमंतभद्राचार्यने इसप्रकार व्वतलाया है—

संकल्पात्कृतकारितमननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान् ।

न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधाद्विरमणं निषुणाः ॥

इस स्वरूपमें अणुव्रतीके लिये स्थूलरूपसे त्रसजीवोंकी सिर्फ संकल्पी हिंसाके त्यागका विधान किया गया है। आरंभी\* और विरोधी हिंसाका वह प्रायः त्यागी नहीं होता। श्रीहेमचंद्राचार्य भी अपने योगशास्त्रमें ‘निरागस्वसर्जन्तूनां हिंसां संकल्पतस्त्यजेत्’ इस वाक्यके द्वारा संकल्पसे निरपराधी त्रस जीवोंकी हिंसाके त्यागका विधान करते हैं। रात्रिभोजनमें दिनकी अपेक्षा हिंसाकी अधिक संभावना जर्खर है परन्तु वह उक्त संकल्पी हिंसा नहीं होती वजिसके त्यागका व्रती श्रावकके लिये नियंत्रण किया गया है और

\* गृहवाससेवनरतो मंदकषायप्रवृत्तिरांभः ।

आरंभजां स हिंसां शक्नोति न रक्षितुं नियतम् ॥ ६—७ ॥

—उपासकाचारे, अमितगतिः ।

इसलिये अहिंसाणुव्रतकी प्रतिज्ञामें रात्रिभोजनका त्याग नहीं आता। उसके लिये जुदा ही नियमादिक करनेकी जरूरत होती है। इसी लिये गृहस्थोंको रात्रिभोजनके त्यागका पृथक् उपदेश दिया गया है। कुछ आचार्योंने अहिंसाणुव्रतके बाद, कुछने पाँचों अणुव्रतोंके बाद, कुछने भोगोपभोगपरिमाण नामके गुणव्रतमें और कुछने अणुव्रतोंके कथनसे भी पहले इसका वर्णन किया है। और अनेक आचार्योंने स्पष्ट तौरपर इसे उठा अणुव्रत ही करार दिया है जैसा कि ऊपर दिखलाया गया है। अतः यह एक पृथक् व्रत जान पड़ता है और उक्त आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें इसका अन्तर्भूत नहीं होता। हाँ, महाव्रतियोंके त्यागकी दृष्टिसे, जिसमें सब प्रकारकी हिंसाको छोड़ा जाता है और गोचरीके भी कुछ विशेष नियम हैं, आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें रात्रिभोजनके त्यागका समावेश जरूर हो सकता है। और संभवतः इसीपर लक्ष्य रखते हुए श्रीपूज्यपाद और अकलंकदेवने अपने अपने ग्रन्थोंमें उक्त प्रकारके उत्तरका विधान किया जान पड़ता है। ऐसा मालूम होता है कि विकल्पको उठाकर उसका उत्तर देते समय उनकी दृष्टि अहिंसाणुव्रतके स्वरूपपर नहीं पहुँची—उनके सामने उस समय अहिंसा महाव्रतके स्वरूपका नकाशा और मुनियोंके चरित्रका चित्र ही रहा है, और इस लिये, उन्होंने उसीके ध्यानमें रात्रिभोजनविरमण नामके छठे अणुव्रतको अहिंसाव्रतकी आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें अन्तर्भूत कर दिया है। मेरा यह खयाल और भी दृढ़ होता है जब मैं राजवार्तिकमें उन विशेष विकल्पोंके उत्तर-प्रत्युत्तरोंको देखता हूँ जो आलोकितपानभोजनके सम्बन्धमें उठाए गये हैं; वे सब मुनियोंसे ही सम्बन्ध रखते हैं। जैसे कि, दीपादिकके प्रकाशमें देखभालकर रात्रिको भोजनपानकरनेमें जो आरंभ दोप होता है उसे यदि परकृतप्रदीपदि हेतुसे हटाया भी जाय तो भी भोजनके

वास्ते मुनियोंका रात्रिको विहारादिक नहीं बन सकता; क्योंकि आचार-शास्त्रका ऐसा उपदेश है:—

“ ज्ञानाऽऽदित्यस्वेद्रियप्रकाशपरीक्षितमार्गेण युगमात्रपूर्वा-  
पेक्षी देशकाले पर्याप्य यतिः भिक्षां शुद्धामुपादीयते हत्याचारो-  
पदेशः । ”

आचारशास्त्रकी यह विधि रात्रिको नहीं बन सकती—इसके लिये आदित्य ( सूर्य ) के प्रकाशकी खास जखरत है । अतः परकृतप्रदीपादिके कारण आरंभदोप न होते हुए भी, विहारादिक न बन सकनेसे, मुनियोंके रात्रिको भोजन नहीं बनता । इसी तरहपर आगे और भी, दिनको भोजन लाकर उसे रात्रिको खाने आदिके विकल्प उठाए गये हैं और उनका फिर मुनियोंके सम्बन्धमें ही परिहार किया गया है, जिन सबसे यह विलकुल स्पष्ट हो जाता है कि मुनिधर्मको लक्ष्य करके ही रात्रिभोजनविरमणका आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें अन्तर्भाव किया गया है; आवकधर्म अथवा उक्त छठे अणु-व्रतको लक्ष्य करके नहीं । वास्तवमें अहिंसादिक व्रतोंकी पाँच पाँच भावनाएँ भी प्रायः मुनियोंको—महाव्रतियोंको—लक्ष्य करके ही कही गई हैं; जैसा कि शास्त्रोंमें दिये हुए ईर्यासमिति, भैक्ष्यशुद्धि, शून्या-गारावास आदि उनके नामों तथा स्वरूपसे प्रकट है और जिनके विपर्यमें यहाँ विशेष लिखनेकी जखरत नहीं है । महाव्रतोंकी अस्थिरतामें मुनियोंके एक भी उत्तरण नहीं बन सकता, अतः व्रतोंकी स्थिरता संपादन करनेके लिये ही मुनियोंके वास्ते इन सब भावनाओंका खास तौरसे विधान किया गया है, जैसा कि ‘क्षेत्रकवार्तिक’ में श्रीविद्यानन्द आचार्यके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

तत्स्थैर्यार्थं विधातव्या भावना पंच पंच तु ।  
तदस्थैर्ये यतीनां हि संभाव्यो नोक्तरो गुणः ॥

अणुव्रती श्रावकके लिये इन भावनाओंमेंसे आलोकितपानभोजन नामकी भावनाका प्रायः इतना ही व्याप्ति हो सकता है कि, मोटे रूपसे अच्छी तरह देख भालकर भोजनपान किया जाय—वैसे ही विना देखे भाले अन्धेरे आदिमें अनापशनाप भोजन न किया जाय । इससे अधिक, रात्रिभोजनके त्यागका अर्थ उससे नहीं लिया जा सकता । उसके लिये जुदा प्रतिज्ञा करनी होती है । यह भावना है, इसे ब्रत अथवा प्रतिज्ञा नहीं कह सकते । ब्रत कहते हैं ‘अभिसंधिकृत नियम’ को—अर्थात्, यह काम मुझे करना है अथवा यह काम मैं नहीं करूँगा, इस प्रकारके नियमविशेषको; और भावना नाम है ‘पुनः पुनः संचिन्तन और समीहन’ का । आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें इस प्रकारका चिन्तन और समीहन किया जाता है कि ‘मेरे अहिंसा-ब्रतकी शुद्धिके लिये देख भालकर भोजन दुखा करे ।’ इससे पाठक समझ सकते हैं कि यह चिन्तन और समीहन कहाँ तक उस रात्रि-भोजनविरति नामके ब्रत अथवा अणुव्रतकी कोटिमें आता है, जिसमें इस प्रकारका नियम किया जाता है कि मैं रात्रिको अमुक अमुक प्रकारके आहारका सेवन नहीं करूँगा । अस्तु; यहाँ मैं अपने पाठकों-परं इतना और प्रकट किये देता हूँ कि श्रीविद्यानन्द आचार्यने, अपने ‘छोकवार्तिक’ के इसी प्रकरणमें, छठे अणुव्रतका उल्लेख नहीं किया है; बल्कि रात्रिभोजनविरतिको अहिंसादिक पाँचों ब्रतोंके अनन्तर ही अस्तित्व रखनेवाला एक पृथक ब्रत सूचित करते हुए उसे उक्त प्रकारके प्रश्नों तथा विकल्पोंके साथ, आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें अंतर्भूत किया है । जैसा कि उनके निम्न वाक्योंसे प्रकट है:—

“ननु पंचसु व्रतेष्वनन्तर्भावादिह रात्रिभोजनविरत्युपसंख्या-  
मिति चेन्न, भावनान्तर्भावात् । तत्रानिर्देशाद्युक्तोऽन्तर्भाव इति  
चेन्न, आलोकितपानभोजनस्य वचनात् ।”

इससे मालूम होता है कि विद्यानन्द आचार्यकी दृष्टि श्रीपूज्यपाद और  
अकलंकदेवकी उस सदोष उक्ति पर पहुँची है, जिसके द्वारा उन्होंने  
उक्त छठे अणुव्रतको आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें अंतर्भूत  
किया था; और इस लिये उन्होंने उसका उपर्युक्त प्रकारसे संशोधन  
करके कथनके पूर्वापि संवंधको एक प्रकारसे ठीक किया है। वास्तवमें  
चार्तिककारोंका काम भी प्रायः यही होता है। वे, अपनी समझ और  
शक्तिके अनुसार, उक्त, अनुक्त, और दुरुक्त तीनों प्रकारके अर्थोंकी  
चिन्ता, विचारणा और अभिव्यक्ति किया करते हैं। उक्तार्थोंमें जो  
उपयोगी और ठीक होते हैं उनका संग्रह करते हैं, शेषको छोड़ते हैं;  
अनुक्तार्थोंको अपनी ओरसे मिलाते हैं और दुरुक्तार्थोंका संशोधन करते  
हैं—जैसा कि श्रीहेमचंद्राचार्य-प्रतिपादित ‘वार्तिक’ के निम्न लक्षणसे  
प्रकट है:—

“उक्तानुक्तदुरुक्तार्थचिन्ताकारि तु वार्तिकम् ।”

अकलंकदेव भी वार्तिककार हुए हैं। उन्होंने भी अपने राजवार्तिकमें  
ऐसा किया है। परन्तु उनकी दृष्टि पूज्यपादकी उक्त सदोष उक्ति पर  
नहीं पहुँची, ऐसा मालूम होता है। अथवा कुछ पहुँची भी है, यदि  
उनके ‘तदपि पष्टमणुव्रतं’ इस वाक्यका ‘वह (रात्रिभोजनविरति)  
भी छठा अणुव्रत है’ ऐसा अर्थ न करके ‘वह छठा अणुव्रत भी है’  
यह अर्थ किया जाय। ऐसी हालतमें कहा जायगा कि उन्होंने पूज्य-  
पादकी उस दुरुक्तिका सिर्फ आंशिक संशोधन किया है। क्योंकि छठे

अणुव्रतका उल्लेख करके उन्होंने फिर आलोकितपानभोजन नामकी, भावनामें उसकी उसी तरह सिद्धि नहीं की जिस तरह कि महान्रतियोंकी दृष्टिसे रात्रिभोजनविरति नामके व्रतकी की है। और महान्रतियोंकी दृष्टिसे जो आरंभदोपादिक हेतु प्रयुक्त किये गये हैं उनकी अणुव्रती गृहस्थोंके सम्बन्धमें अनुपपत्ति है—वे उनके नहीं बनते—इसलिये उनसे उक्त विषयकी कोई सिद्धि नहीं होती। मेरी रायमें श्रावकोंके छठे अणुव्रतकी, आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें कोई सिद्धि नहीं बनती; जैसा कि ऊपर कुछ विशेष रूपसे दिखलाया गया है।

इस संपूर्णकथनसे यह बात भले प्रकार समझमें आसकती है कि 'रात्रिभोजनविरति' नामका व्रत एक स्वतंत्र व्रत है। उसके धारण और पालनका उपदेश मुनि और श्रावक दोनोंको दिया जाता है—दोनोंसे उसका नियम कराया जाता है—वह अणुव्रतरूप भी है और महाव्रतरूप भी। महाव्रतोंमें भले ही उसकी गणना न हो—वह छठे अणुव्रतके सदृशा छठा महाव्रत न माना जाता हो—और चाहे मुनियोंके मूलगुणोंमें भी उसका नाम न हो परंतु इसमें संदेह नहीं कि उसका अस्तित्व पंचमहाव्रतोंके अनंतर ही माना जाता है और उनके साथ ही मूलगुणके तौरपर उसके अनुष्ठानका पृथक् रूपसे विधान किया जाता है, जैसा कि इस लेखके शुरूमें उद्घृत किये हुए 'आचासारके' वाक्य और 'मूलाचार'के निम्नवाक्यसे भी प्रकट है:—

**“तेसि चेव वदाणं रक्खद्धं रादिभौयणविरत्ती ।”**

ऐसी हालतमें रात्रिभोजनविरतिको यदि छठा महाव्रत मान लिया जाय अथवा महाव्रत न मानकर उसके द्वारा मुनियोंके मूलगुणोंमें एककी

वृद्धि की जाय—वे २८ के स्थानमें २९ स्वीकार किये जायें—तो इसमें जैनधर्मके मूल सिद्धान्तोंसे कोई विरोध नहीं आता। मूलोत्तर गुण हमेशा एक ही प्रकारके और एकही संख्यामें नहीं रहा करते। वे समयकी आवश्यकताओं, देशकालकी परिस्थितियों और प्रतिपाद्यों (शिष्यों) की योग्यता आदिके अनुसार बराबर बदला करते हैं—उनमें फेरफारकी जखरत हुआ करती है। महावीर भगवानसे पहले अजितनाथ तीर्थकरपर्यंत व्रत एक था; क्योंकि वाईस तीर्थकरोंने ‘सामायिक’ चारित्रका उपदेश दिया है, ‘छेदोपस्थापना’ चारित्रका नहीं। छेदोपस्थापनाका उपदेश श्रीऋषभदेव और महावीर भगवानने दिया है; जैसा कि श्रीवट्टकेराचार्यके निम्न वाक्यसे प्रकट है:—

\*वावीसं तित्यथरा सामाह्यं संजमं उवदिसंति ।

छेदोवद्वावणियं शुन भयवं उसहो य वीरो य ॥७-३२॥  
—मूलाचार ।

सामायिक चारित्रकी अपेक्षा व्रत एक होता है, जिसे अहिंसाक्रत अथवा सर्वसावधाराग्रत कहना चाहिये। वही व्रत छेदोपस्थापना चारित्रकी अपेक्षा पंच प्रकारका—अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रैश्चर्य, और अपरिग्रह रूपसे वर्णन किया गया है; जैसा कि श्रीपूज्यपाद् आचार्यके निम्न वाक्यसे प्रकट है:—

“सर्वसावधनिवृत्तिलक्षणसामायिकापेक्षया एकं व्रतं,

तदेव छेदोपस्थापनापेक्षया पंचविधमिहोच्यते ।”

—सर्वार्थसिद्धि ।

\* यह गाथा इवेताम्बरोंकी ‘आवश्यकनिर्युक्ति’में भी, जिसे भद्रवाहु श्रुतकेवलीकी बनाई हुई कहा जाता है, नं० १२४६ पर, साधारणसे पाठ भेदके साथ, पाई जाती है।

इससे स्पष्ट है कि जब महावीर भगवानसे पहले अजितनाथ तीर्थकर-पर्यंत ब्रतोंमें सत्यव्रतादिककी कल्पना नहीं थी, अविभक्तरूपसे एक अहिंसाव्रत माना जाता था—सिर्फ अहिंसाको धर्म और हिंसाको पाप मिना जाता था—तब उस वक्त मुनियोंके ये अद्वाईस मूल गुण भी नहीं थे और न श्रावकोंके वर्तमान वारह ब्रत बन सकते हैं—उनकी संख्या भी कुछ और ही थी। यह सब भेदकल्पना महावीर भगवानके समयसे हुई है। संभव है कि महावीर भगवानको अपने समयमें मुनियोंको रात्रिभोजनके लागकी पृथकरूपसे उपदेश देनेकी जरूरत न पड़ी हो, उस वक्त आलोकितपानभोजन नामकी भावना आदिसे ही काम चल जाता हो और यह जरूरत पीछेके कुछ आचार्योंको द्वादशवर्षीय दुष्कालके समयसे पैदा हुई हो, जब कि बहुतसे मुनि रात्रिको भोजन करने लगे थे और शायद ‘परंकृतप्रदीप’ और ‘दिवौनीत’ आदि हेतुओंसे अपने पक्षका समर्थन किया करते थे। और इस लिये दुरदर्शी आचार्योंने उस वक्त मुनियोंके लिये महाब्रतोंके साथ—उनके अनन्तर ही—रात्रिभोजनविरतिका एक पृथक ब्रतरूपसे विधान करना आवश्यक समझा। वही विधान अवतक चला आता है। ऐसी ही हालत छठे अणुव्रतकी जान पंडती है। उसे भी किसी समयके आचार्योंने जरूरी समझ कर उसका विधान किया है। परन्तु

१ भोजन हम दीपकके प्रकाशमें अच्छी तरहसे देख भालकर करते हैं, और दीपकको दूसरेने स्वयं जलाया है इसलिये हमें उसका आरंभादिक दोष भी नहीं लगता।

२ भोजनके लिये रात्रिको विहार करने आदिका जो दोष आता था सो ठीक, परन्तु हम दिनमें विधिपूर्वक गोचरीके द्वारा भोजन ले आते हैं और रात्रिको परकृत प्रदीपके प्रकाशमें अच्छी तरह देख भालकर खा लेते हैं, इसलिये हमें कोई दोष नहीं लगता।

इन सब विधि-विधानोंका जैनसिद्धान्तों अथवा महावीर भगवानके शासनके साथ कोई विरोध नहीं है—सबका आशय और उद्देश्य साक्ष्य कमोंको छुड़ानेका है—यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक आचार्यने इठे अणुव्रतका विधान करके अथवा मुनियोंके लिये पृथकरूपसे एक नये ग्रन्तकी ईंजाद करके महावीर भगवानकी आज्ञाका उल्टवन किया अथवा उन्मार्ग फैलाया है। ऐसा कहना भूल होगा। महावीर भगवानने साक्ष्यकर्मोंके लागका एक नुसखा (ओपरिकल्प) बतलाया था, जो उस समय उनके शिष्योंकी प्रकृतिके बहुत अनुकूल था। उनके इस बतलानेका यह आशय नहीं था कि दूसरे समयोंमें—शिष्योंकी प्रकृति बदल जानपर भी—उसमें कुछ फेरफार न किया जाय। इसी-लिये उसमें अविरोचनद्विषेषे फेरफार किया गया है और अब भी उसी द्विषेषे किया जा सकता है। आज यदि कोई महात्मा, वर्तमान देश-कालकी परिस्थितियों और आवश्यकताओंके अनुसार अणुव्रतोंकी संख्यामें एक नये ग्रन्तकी शुद्धि करना चाहे—अर्थात्, (उदाहरणके तौर पर, ‘स्वदेशवस्तुत्यवहार’ नामका सातवाँ अणुव्रत स्थापित करे, तो वह खुशीसे ऐसा कर सकता है। उसमें भी कोई आपत्ति किये जानेकी जरूरत नहीं है। क्योंकि अहिंसाव्रतकी रक्षाके लिये (‘अहिंसाव्रतरक्षार्थ’ इति सोमदेवः) अथवा पाँचों व्रतोंकी रक्षाके लिये (‘तीर्त्सं चेव वदाणं रक्खद्वं’ इति बट्टकरः) जिस प्रकार ‘रात्रिभोजनविरति’का विधान किया गया है उसी प्रकार अपरिप्रह—परिभितपरिप्रह—व्रतकी रक्षाके लिये अथवा अहिंसाद्विक पाँचों ही व्रतोंकी रक्षाके लिये ‘स्वदेशवस्तुत्यवहार’ नामका व्रत बहुतही उपयोगी जान पड़ता है। आजकल इसकी बड़ी जरूरत भी है—विद्रेशी वस्तुओंके प्रबल प्रचारके कारण मनुष्योंका नाकों दम है, उनमें इतनी जरूरतें बढ़ गई हैं और इतनी विलासप्रियता

छागई है कि उन सबके चक्रमें पड़कर उन्हें धर्मकर्मकी प्रायः कुछ भी नहीं सूझती। और इसलिये धर्मकर्मका सब विधि विधान पुस्तकोंमें ही रखा रह जाता है—उन्हें अपनी छात्रिम आवश्यकताओंको पूरा करनेसे ही कुर्सत नहीं मिलती। इन सब आपत्तियोंसे बचनेके लिये ‘स्वदेश-वस्तुव्यवहार’ नामका व्रत एक अमोघ शास्त्रका काम देगा। ऐसे महान् उपयोगी व्रतका विधान कभी महावीर भगवानके शासनके विरुद्ध नहीं हो सकता और न वह जैनसिद्धान्तोंके ही विरुद्ध कहा जा सकता है। अस्तु।

यहाँ, श्वेताम्बर आचार्योंका दृष्टिसे, मैं सिर्फ इतना और बतलाना चाहता हूँ कि उन्होंने रात्रिभोजनविरतिको छठा अणुव्रत तो नहीं माना, परन्तु साधुके २७ मूलगुणोंमें उसे पंचमहाव्रतोंके बाद छठा व्रत जखर माना है। श्रावकोंके लिये श्रीहेमचन्द्राचार्यने रात्रि-भोजनके त्यागका विधान ‘भोगोपभोगपरिमाण’ नामके दूसरे गुणव्रतमें किया है। परन्तु श्रावकप्रश्नासिके कर्ता आचार्यका उक्त गुणव्रतमें वैसा कोई विधान नहीं है। उसके टीकाकार श्रीहरिभद्रसूरि भी वहाँ रात्रि-भोजनके त्यागका कोई उल्लेख नहीं करते। उन्होंने ‘बृद्धसम्प्रदाय’ ख्यपसे जो प्राकृत गद्य अपनी टीकामें उद्धृत किया है उसमें भी रात्रि-भोजनके त्यागकी कोई विधि नहीं है। श्वेताम्बरसम्प्रदायका मुख्य ग्रन्थ उपासकदशांगसूत्र भी इस विषयमें मौन है—वह उक्त गुणव्रतका वर्णन करते हुए रात्रिभोजनके त्यागका कुछ भी उल्लेख नहीं करता। इन सब वारोंसे ऐसा मालूम होता है कि उनके यहाँ ‘भोगोपभोग-परिमाण’ नामके गुणव्रतमें रात्रिभोजनके त्यागका कोई खास नियम नहीं है। अन्यथा, श्रावकप्रश्नासिके कर्ता या कमसे कम उसके टीकाकार उसका वहाँ उल्लेख जखर करते। सम्भव है कि इस विषयमें उक्त सम्प्रदायके

आचार्योंमें और भी मतभेद हो जो अर्मीतक अपनेको मालूम नहीं हुआ।

इस तरह आचार्योंके शासनभेद-टारसे यह अणुव्रतोंकी संख्या आदिका कुछ विवेचन किया गया है। अणुव्रतोंके स्वरूप-विप्रयक विशेष भेदको निर किसी समय दिखलानेका यत्न किया जायगा।

## गुणव्रत और शिक्षाव्रत



**जै**

नवर्ममें, अणुव्रतोंके पथात्, धावकके बारह व्रतोंमें तीन गुणव्रतों और चार शिक्षाव्रतोंका विधान पाया जाता है। इन सातों व्रतोंको सप्त शीलव्रत भी कहते हैं। गुणव्रतोंसे अभिप्राय उन व्रतोंका है जो अणुव्रतोंके गुणार्थ अर्थात् उपकारके लिये नियत किये गये हैं—भावनाभूत हैं—अथवा जिनके द्वारा अणुव्रतोंकी शुद्धि तथा पुष्टि होती है। और शिक्षाव्रत उन्हें कहते हैं जिनका मुख्य प्रयोजन शिक्षा अर्थात् अभ्यास है—जो शिक्षाके स्थानक तथा अभ्यासके विप्रय हैं—अथवा शिक्षाकी—विद्यापादानकी—जिनमें प्रधानता है। और जो विशिष्ट श्रुत-ज्ञानभावनाकी परिणतिद्वारा निर्वाह किये जानेके योग्य होते हैं। इनमें गुणव्रत प्रायः यावर्जीविक कहलाते हैं; अर्थात्, उनके धारणका नियम प्रायः जीवनभरके लिये होता है—वे प्रतिसमय पालन किये जाते हैं—और शिक्षाव्रत यावर्जीविक न होकर प्रतिदिन तथा नियत दिवसादिकके विभागसे अभ्यन्तरीय होते हैं—उनका अभ्यास प्रतिसमय नहीं हुआ करता, उन्हें परिभितकालभावित समझना चाहिये। यही सब इन दोनों

प्रकारके ब्रतोंमें परस्पर उल्लेखयोग्य भेद पाया जाता है \* । यद्यपि इन दोनों जातिके ब्रतोंकी संख्यामें कोई आपत्ति मालूम नहीं होती—प्रायः सभी आचार्योंने, जिन्होंने गुणव्रत और शिक्षाव्रतका विधान किया है, गुणव्रतोंकी संख्या तीन और शिक्षाव्रतोंकी संख्या चार बतलाई है—तो भी इनके भेद तथा स्वरूपादिकके प्रतिपादनमें कुछ आचार्योंके परस्पर भत-भेद हैं। उसी भत-भेदको स्थूलरूपसे दिखलानेका यहाँपर यत्र किया जाता है:—

\* यथा:—

१—अनुवृंहणाङ्गुणानामाख्यान्ति गुणव्रतान्यार्यः ।

—इति स्वामिसमन्तभद्रः ।

२—“गुणार्थमणुव्रतानामुपकारार्थव्रतं गुणव्रतं । शिक्षायै अभ्यासाय ब्रतं देशावकाशिकादीनां प्रतिदिवसाभ्यसनीयत्वात् । अतएव गुणव्रतादस्य भेदः । गुणव्रतं हि प्रायो यावज्जीविकमाहुः । अथवा शिक्षाविद्योपादानं शिक्षाप्रधानं ब्रतं शिक्षाव्रतं देशावकाशिकादेर्विशिष्टश्रुतज्ञानभावनापरिणतत्वेनैव निर्वाह्यत्वात् ।” “शिक्षाव्रतत्वं चास्य शिक्षाप्रधानत्वात् परिमितकालं भवित्वाच्च ।”

—इत्याशाधरः, स्वसागरधर्मामृतटीकायां ।

३—“अणुव्रतानां परिपालनाय भावनाभूतानि गुणव्रतानि ।” “शिक्षापदानि च शिक्षाव्रतानि वा तत्र शिक्षा अभ्यासः स च चारित्रनिवन्धनविशिष्टक्रियाकलापविषयस्तस्य पदानि स्थानानि तद्विषयानि वा व्रतानि शिक्षाव्रतानि ।”

—इति श्रावकप्रज्ञस्तीकायां, हरिभद्रः ।

४—“शीलं च गुणशिक्षाव्रतं । तत्र गुणव्रतानि अणुव्रतानां भावनाभूतानि । यथाणुव्रतानि तथा गुणव्रतान्यपि सकूदूगृहीतानि यावज्जीवं भावनीयानि ।”...“शिक्षाऽभ्यासस्तस्याः पदानि स्थानानि अभ्यासाविषयस्तान्येव व्रतानि शिक्षापदब्रतानीति । गुणव्रतानि तु न प्रतिदिवसग्राह्याणि सकूदग्रहणान्येव ।

—इति तत्वार्थसूत्रस्य स्वस्टीकायां सिद्धसेनगणिः यशोभद्रश्च ।

(१) श्रीकुन्दकुन्दाचार्य, अपने 'चारित्रपद्म' में, इन व्रतोंके भेदोंका प्रतिपादन इस प्रकारसे करते हैं:—

दिसविदिसमाण पठमं अणत्यदंडस्स वज्जणं विदियं ।

भोगोपभोगपरिमा इयमेव गुणव्यया तिणि ॥ २५ ॥

सामाइयं च पठमं विदियं च तहेव पोसहं भणियं ।

तइयं अतिहीपुज्जं चउत्थं संलेहणा अंते ॥ २६ ॥

अर्थात्—१ दिशाविदिशाओंका परिमाण, २ अनर्थदंडका लाग और ३ भोगोपभोगका परिमाण, ये ही तीन गुणव्रत हैं। १ सामायिक, २ प्रोपव, ३ अतिथिपूजन और ४ अन्तमें सलेखना, ये चार शिक्षाव्रत हैं।

'देवसेन' और 'शिवकोटि' नामके आचार्योंने भी अपने अपने ग्रन्थोंमें इसी मतका प्रतिपादन किया है। यथा:—

दिसिविदिसिपञ्चखाणं अणत्यदंडाण होह परिहारो ।

भोयोपभोयसंखा एएहु गुणव्यया तिणि ॥ ३५४ ॥

देवे युवह तियाले पववे पञ्चे सुपोसहोचासं ।

अतिहीण संविभागो मरणंते कुणह सछिहणं ॥ ३५५ ॥

—भावसंग्रहे, देवसेनः ।

(यहाँ 'देवे युवह तियाले' (त्रिकालदेववन्दना) से 'सामायिक' का अभिप्राय है।

गुणवतानामाद्यं स्याद्विग्रतं तद् द्वितीयकम् ।

अनर्थदण्डविरतिस्तृतीयं प्रणिगद्यते ॥ १६ ॥

भोगोपभोगसंख्यानं, शिक्षावतमिदं भवेत् ।

सामायिकं प्रोपथोपवासोऽतिथिपु पूजनम् ॥ १७ ॥

मारणान्तिकसल्लेख इत्येवं तच्चतुष्टयम् ।.... १८ ॥

रत्नमालायां, शिवकोटिः ।

(२) तत्त्वार्थसूत्रके प्रणेता श्रीउमास्वाति आचार्यने यद्यपि अपने सूत्रमें 'गुणव्रत' और 'शिक्षाव्रत' ऐसा स्पष्ट नामोल्लेख नहीं किया, तो भी सातवें अध्यायमें सप्तशील व्रतोंका जिस क्रमसे निर्देश किया है उससे मालूम होता है कि उन्होंने १ दिव्विरति, २ देशविरति, ३ अनर्थदण्डविरतिको गुणव्रत; और १ सामायिक, २ प्रोषधोपवास, ३ उपभोगपरिभोगपरिमाण, ४ अतिथिसंविभागको शिक्षाव्रत माना है। यथा:—

दिव्विशानर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोपधोपवासोपभोगपरिभोग-  
परिमाणातिथिसंविभागव्रतसम्पन्नश्च ।

इस सूत्रकी टीकामें—‘सर्वार्थसिद्धिमें’—श्रीपूज्यपाद आचार्य भी “दिव्विरतिः, देशविरतिः, अनर्थदण्डविरतिरिति । एतानि त्रीणि गुणव्रतानि” इस वाक्यके द्वारा पहले तीन व्रतोंको गुणव्रत सूचित करते हैं। और इसलिये वाकीके चारों व्रत शिक्षाव्रत हैं, यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है; क्योंकि शीलव्रत गुणशिक्षाव्रतात्मक कहलाते हैं।

सप्तशीलानि गुणव्रतशिक्षाव्रतव्यपदेशभांजीति ।

ऐसा, छोकवार्तिकमें, श्रीविद्यानन्द आचार्यका भी वाक्य है।

इससे उमास्वाति आचार्यका शासन, और संभवतः उनके समर्थक श्रीपूज्यपाद और विद्यानन्दआचार्यका शासन भी, इस विषयमें, कुन्दकुन्दाचार्य आदिके शासनसे एकदम विभिन्न जान पड़ता है। उमास्वातिने सल्लेखनाको शिक्षाव्रतोंमें तो क्या, श्रावकके बारह व्रतोंमें भी वर्णन नहीं किया; बल्कि व्रतोंके अनन्तर उसे एक जुदा ही धर्म प्रतिपादन किया है, जिसका अनुष्ठान मुनि और श्रावक दोनों किया करते हैं। इसके सिवाय, उन्होंने गुणव्रतोंमें 'देशविरति' नामके एक नये व्रतकी कल्पना की है और, साथ ही, भोगोपभोगपरिमाण व्रतको गुणव्रतोंसे

निकाल कर शिक्षाव्रतोंमें दाखिल किया है। तत्त्वार्थसूत्रके टीकाकारों पूज्यपाद, अकलंकदेव और विद्यानन्दमेंसे किसीने उनके इस कथनपर कोई आपत्ति नहीं की। बल्कि विद्यानन्दने एक वाक्यद्वारा साफ तौरसे सल्लेखनाको अलग दिखलाया है और यह प्रतिपादन किया है कि ‘जिसप्रकार मुनियोंके महाव्रत और शीलव्रत सम्यक्त्वपूर्वक तथा सल्लेखनान्त होते हैं उसी प्रकार गृहस्थके पंच अणुव्रत और गुणव्रत-शिक्षाव्रतके विभागको लिये हुए, सप्तशीलव्रत भी सम्यक्त्वपूर्वक तथा सल्लेखनान्त समझने चाहिये। अर्थात्, इन व्रतोंसे पहले सम्यक्त्वकीं जरूरत है और अन्तमें—मृत्युके संनिकट होनेपर—सल्लेखना, संन्यास अथवा समाधिका विधान होना चाहिये।’ वह वाक्य इस प्रकार है:—

“ तेन गृहस्थस्य पंचाणुव्रतानि सप्तशीलानि गुणव्रतशिक्षाव्रत-व्यपदेशभाँजीति द्वादशदीक्षाभेदाः सम्यक्त्वपूर्वकाः सल्लेखनांताश्च महाव्रततच्छीलवत् । ”

इस वाक्यमें गृहस्थके वारहव्रतोंको ‘द्वादश दीक्षाभेद’ प्रकट किया है, जिससे उन लोगोंका बहुत कुछ समाधान हो सकता है जो अभी-तक यह समझे हुए हैं कि श्रावकके वारहव्रतोंका युगपत् ही ग्रहण होता है, क्रमशः अथवा व्यस्त रूपसे नहीं।

हाँ, श्वेताम्बर टीकाकारोंमें श्रीसिद्धसेनगणि और यशोंभद्रजीने उमास्वातिके उक्त सूत्रपर कुछ आपत्ति जरूर की है। उन्होंने, दिग्विरतिके बाद देशविरतिके कथनको परमागमके क्रमसे विभिन्न सूचित करते हुए, एक प्रश्न खड़ा किया है और उसके द्वारा यह विकल्प उठाया है कि, जब परमागममें गुणव्रतोंका क्रमसे निर्देश करनेके बाद शिक्षाव्रतोंका उपदेश दिया गया है तो फिर सूत्रकारों

( उमास्वाति ) ने उसके विरुद्ध भिन्नक्रम किस लिये रखा है । अर्थात् दिग्बिरत्यादि गुणव्रतोंका कथन पूरा किये बिना ही वीचमें 'देशविरति' नामके शिक्षाव्रतका उपदेश क्यों दिया है ? और फिर आगे स्वयं ही इस क्रमभंगके आरोपका समाधान किया है । यथा:—

“ संप्रति क्रमनिर्दिष्टं देशव्रतमुच्यते । अत्राह वक्ष्यति भग-  
वान् देशव्रतं । परमार्पणवचनक्रमः कैमर्थ्याङ्गिनः सूत्रकारेण ।  
आपें तु गुणव्रतानि क्रमेणादिश्य शिक्षाव्रतान्युपदिष्टानि सूत्र-  
कारेण त्वन्यथा । तत्रायमभिप्रायः पूर्वतो योजनशतपरिमितं  
गमनमभिगृहीतं न चास्ति संभवो यत्प्रतिदिवसं तावती दिग्ब्रगा-  
हाऽत्स्तदनंतरमेवोपदिष्टं देशव्रतमिति । देशे भागेऽवस्थापनं  
प्रतिप्रदिनं प्रतिप्रहरं प्रतिक्षणमिति सुखावबोधार्थमन्यथाक्रमः । ”

इस अवतरणमें क्रमभंगके आरोपका जो समाधान किया गया है और उसका जो अभिप्राय बतलाया गया है, वह इस प्रकार है:—

‘ पहलेसे सौ योजन गमनका परिमाण ग्रहण किया था, परंतु यह संभव नहीं कि प्रति दिन इतने परिमाणमें दिशाओंका अवगाहन हो सके इस लिये उसके ( दिग्वतके ) बाद ही देशव्रतका उपदेश दिया गया है । इस तरह सुखसे समझमें आनेके लिये ( सुखावबोधार्थ ) सूत्रकारने यह भिन्नक्रम रखा है । ’

जो विद्वान निष्पक्ष विचारक हैं उन्हें उपरके इन समाधानवाक्योंसे कुछ भी संतोष नहीं हो सकता । वास्तवमें इनके द्वारा आरोपका कुछ भी समाधान नहीं हो सका । देशव्रतको दिग्वतके अनन्तर रखनेसे वह भले प्रकार समझमें आ जाता है, बादको रखनेसे वह समझमें न आता या कठिनतासे समझमें आता, ऐसा कुछ भी नहीं है । और

इस लिये 'सुखावबोध' नामके जिस हेतुका प्रयोग किया गया है वह कुछ कार्यसाधक माल्यम नहीं होता। सूत्रकार जैसे विद्वानोंसे ऐसी वज्ञी गलती कभी नहीं हो सकती कि वे, जानते बृजते और मानते हुए भी, स्वामल्याह एक जातिके व्रतको दूसरी जातिके व्रतोंमें शामिल कर दें, उन्हें ऐसी वातोंका खास खयाल रहता है और इसी लिये उन्होंने अपने सूत्रमें अनेक वातोंको, किसी न किसी विशेषताके प्रतिपादनार्थ, अलग अलग विभक्तियोंद्वारा दिखलानेकी चेष्टा भी की है। यहाँ क्रमनिर्देशसे ही गुणव्रत और शिक्षाव्रत अलग हो जाते हैं, इस लिये किसी विभक्तिद्वारा उन्हें अलग अलग दिखलानेकी जखरत नहीं पड़ी। हाँ, दिग्देशानर्थ दंडके बाद 'विरति' शब्द लगाकर इन तीनों व्रतोंकी एकजातीयता और दूसरे व्रतोंसे विभिन्नताको कुछ सूचित जखर किया है, ऐसा माल्यम होता है। यदि उमास्वातिको 'देशविरति' नामके व्रतका शिक्षाव्रत होना इष्ट होता तो कोई वजह नहीं थी कि वे उसका यथास्थान निर्देश न करते। तत्त्वार्थाधिगमभाष्यमें भी, जिसे स्वयं उमास्वातिका बनाया हुआ भाष्य वतलाया जाता है, इस विषयका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यदि उमास्वातिने सुखावबोधके लिये ही (जो ग्रायः सिद्ध नहीं है) यह क्रमभंग किया होता और तत्त्वार्थाधिगमभाष्य स्वयं उन्हींका स्वोपन्न टीकाग्रंथ था तो वे उसमें अपनी इस वातका स्पष्टीकरण जखर करते, ऐसा हृदय कहता है। परंतु वैसा नहीं पाया जाता और न उनकी इस सुखावबोधिनी वृत्तिका श्वेताम्बर सम्प्रदायमें पीछेसे कुछ अनुकरण देखा जाता है। इस लिये, विना इस वातको स्वीकार किये कि उमास्वाति आचार्य 'देशविरति' नामके व्रतको गुणव्रत और 'उपमोगपरिमोगपरिमाण' नामके व्रतको शिक्षाव्रत मानते थे, उक्त क्रमभंगके आरोपका समुचित समाधान नहीं बनता। मुझे तो ऐसा

माल्हम होता है कि ज्ञेताम्बरसम्प्रदायके आगम ग्रंथोंसे तत्त्वार्थसूत्रकी विधि ठीक मिलानेके लिये ही यह सब खींचातानी की गई है। अन्यथा, उमाखाति आचार्यका मत इस विषयमें वही माल्हम होता है जो इस नम्बर ( २ ) के शुरूमें दिखलाया गया है और जिसका समर्थन श्रीपूज्यपादादि आचार्योंके वाक्योंसे भले प्रकार होता है। और भी वहुतसे आचार्य तथा विद्वान् इस मतको माननेवाले हूए हैं, जिनमेंसे कुछके वाक्य नीचे उद्धृत किये जाते हैं:—

दिग्देशानर्थदंडानां विरतिहितयाश्रयम् ।  
गुणवतत्रयं सञ्ज्ञिः सागारयतिषु स्मृतम् ॥  
आदौ सामायिकं कर्म प्रोपधोपासनक्रिया ।  
सेव्यार्थनियमो दानं शिक्षावतचतुष्टयं ॥

—यशस्तिलके, सोमदेवः ।

( यहाँ 'सेव्यार्थनियम' से उपभोगपरिभोगपरिमाणका और 'दान' से अतिथिसंविभागका अर्थ समझना चाहिये । )

स्थवीयसीं विरतिमभ्युपगतस्य श्रावकस्य ब्रतविशेषो गुण-  
ब्रतत्रयं शिक्षावतचतुष्टयं शीलसप्तकमित्युच्यते । दिग्विरतिः,  
देशविरतिः, अनर्थदंडविरतिः, सामायिकं, प्रोपधोपवासः, उप-  
भोगपरिभोगपरिमाणं, अतिथिसंविभागश्चेति ।

—चारित्रसारे, श्रीचासुंदरायः ।

दिग्देशानर्थदंडेभ्यो विरतिर्या विधीयते  
जिनेश्वरसमाख्यातं त्रिविधं तद्गुणब्रतं ॥

—सुंभाषितरंत्नसंदोहे, अभितगतिः ।

शिक्षावतं चतुर्मेंदं सामायिकमुपोपितम् ।  
भोगोपभोगसंख्यानं संविभागोऽशनेऽतिथेः ॥ १९-८३ ॥

—धर्मपरीक्षायां, अमितगतिः ।

दिग्देशानर्थदंडेभ्यो यत्त्रिधा विनिवर्तनम् ।  
पोतायते भवाम्भोधौ त्रिविधं तद्दुणवतम् ॥  
भोगोपभोगसंख्यानं....। त्रुटीयं तत्तदाख्यं स्यात्....॥

—धर्मशर्माभ्युदये, श्रीहरिचंद्रः ।

उपरके इन सब अवतरणोंसे साफ प्रकट है कि श्रीसोमदेवसूरि, चामुंडराय, अमितगति आचार्य और श्रीहरिचंद्रजीने दिग्विरति, देशविरति, अनर्थदंडविरति इन तीनोंको गुणवत और सामायिक, प्रोष्ठ-धोपवास, भोगोपभोगपरिमाण, अतिथिसंविभाग, इन चारोंको शिक्षावत वर्णन किया है । साथ ही, इन सभी विद्वानोंने भी सल्लेखनाको श्राव-कके बारह व्रतोंसे अलग एक जुदा धर्म प्रतिपादन किया है । इस लिंये इनका शासन भी, इस विषयमें श्रीकुंदकुंशाचार्यके शासनसे विभिन्न है । परंतु उसे उमास्वातिके शासनके अनुकूल समझना चाहिये ।

( ३ ) स्वामी समंतभद्र अपना शासन, इस विषयमें, कुंदकुंद और उमास्वातिके शासनसे कुछ भिन्नाभिन्नरूपसे स्थापित करते हुए, अपने 'रत्नकर्तंडक' नामके उपासकाध्ययनमें, इन व्रतोंका प्रतिपादन इस प्रकारसे करते हैं:—

दिग्वतमनर्थदंडवतं च भोगोपभोगपरिमाणम् ।  
अनुवृंहणाद्वृणानामाख्यान्ति गुणवतान्यार्थाः ॥  
देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोपधोपवासो वा ।  
वैष्यावृत्यं शिक्षावतानि चत्वारि शिष्टानि ॥

अर्थात्—दिग्न्रत, अनर्थदंडन्त और भोगोपभोगपरिमाण, इन तीन व्रतोंके द्वारा गुणोंकी ( अणुव्रतोंकी अथवा समन्तभद्र-प्रतिपादित अष्ट मूलगुणोंकी ) वृद्धि तथा पुष्टि होनेसे आर्य पुरुष इन्हें गुणव्रत कहते हैं । देशावकाशिक, सामायिक, प्रोपधोपवास और वैद्यावृत्य, ये चार शिक्षाव्रत बतलाये गये हैं ।

इससे स्पष्ट है कि गुणव्रतोंके सम्बन्धमें स्वामी समन्तभद्र और कुद्द-कुन्दाचार्यका शासन एक है । परन्तु शिक्षाव्रतोंके सम्बन्धमें वह एक नहीं है । समन्तभद्रने 'सल्लेखना' को शिक्षाव्रतोंमें नहीं रखा बल्कि 'उसकी जगह 'देशावकाशिक' नामके एक दूसरे व्रतकी तजवीज़ की है और उसे शिक्षाव्रतोंमें सबसे पहला स्थान प्रदान किया है । रही उमास्वातिके साथ तुलनाकी बात, समन्तभद्रका शासन उमास्वातिके शासनसे दोनों ही प्रकारके व्रतोंमें कुछ विभिन्न है । उमास्वातिने जिस 'देशविरति' व्रतको दूसरा गुणव्रत बतलाया है समन्तभद्रने उसे 'देशावकाशिक' नामसे पहला शिक्षाव्रत प्रतिपादन किया है । और समन्तभद्रने जिस 'भोगोपभोगपरिमाण' नामके व्रतको गुणव्रतोंमें तीसरे नम्बर पर रखा है उसे उमास्वातिने शिक्षाव्रतोंमें तीसरा स्थान प्रदान किया है । इसके सिवाय, 'अतिथिसंविभाग' के स्थानमें 'वैद्यावृत्य' को रखकर समन्तभद्रने उसकी व्यापकताको कुछ अधिक बढ़ा दिया है । उससे अब केवल दानका ही प्रयोजन नहीं रहा बल्कि उसमें संयमी पुरुषोंकी दूसरी प्रकारकी सेवा ठहल भी आ जाती है । इसी बातका स्थैतिकरण करनेके लिये आचार्यमहोदयने, अपने ग्रन्थमें, दानार्थ-प्रतिपादक पद्धसे भिन्न एक दूसरा पद भी दिया है जो इस प्रकार है:—

व्यापत्तिव्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागात् ।  
वैद्यावृत्यं यावानुपग्रहोऽन्योपि संयमिनाम् ॥

पं० आशाधरजीने अपने सागारधर्ममृतमें इन व्रतोंका कथन प्रायः स्वामी समन्तभद्रके मतानुसार ही किया है । गुणव्रतोंका कथन प्रारंभ करते हुए, टीकामें, ‘आहुत्रुचन्ति स्वामिमतानुसारिणः’ इस वाक्यके द्वारा उन्होंने स्वामी समन्तभद्रके मतकी औरोंसे भिन्नता और अपनी उसके साथ अनुकूलताको खुले शब्दोंमें उद्घोषित किया है । परन्तु शिक्षाव्रतोंका प्रारंभ करते हुए टीकामें ऐसा कोई वाक्य नहीं दिया, जिसका कारण शायद यह मालूम होता है कि उन्होंने समन्तभद्रके ‘वैच्यावृत्त’ नामक चौथे शिक्षाव्रतके स्थानमें उमास्वातिके ‘आतिथि-संविभाग’ व्रतको ही रखना पसंद किया है । और उसका लक्षण भी दानार्थ-प्रतिपादक किया है । यथा:—

व्रतमतिथिसंविभागः पात्रविशेषाय विधिविशेषेण ।

द्रव्यविशेषवितरणं दातृविशेषस्य फलविशेषाय ॥ ५-४१ ॥

‘देशावकाशिक’ व्रतका वर्णन करते हुए, टीकामें, पं० आशाधर-जीने लिखा है कि, शिक्षाकी प्रधानता और परिमितकाल-भावितपनेकी बजहसे इस व्रतको शिक्षाव्रतत्वकी प्राप्ति है । यह दिग्व्रतके समान यावजीविक नहीं होता । परन्तु तत्त्वार्थसूत्र आदिकमें जो इसे गुणव्रत माना सो वहाँ इसका लक्षण दिग्व्रतको संक्षिप्त करने मात्र विवक्षित मालूम होता है । साथ ही, वहाँ इसे दूसरे गुण-व्रतादिकोंका संक्षेप करनेके लिये उपलक्षण रूपसे प्रतिपादित समझना चाहिये । अन्यथा, दूसरे व्रतोंके संक्षेपको यदि अलग अलग व्रत कर दिया जाता तो व्रतोंकी ‘वारह’ संख्यामें विरोध आता । यथा:—

“शिक्षाव्रतत्वं चास्य शिक्षाप्रधानत्वात्परिमितकालभावित्वा-  
क्षोच्यते । न खल्वेतदिग्व्रतवद्यावज्जीविकमपीष्यति । यत्तु तत्त्वा-  
र्थादौ गुणव्रतत्वमस्य श्रूयते तदिग्व्रतसंक्षेपणलक्षणत्वमात्रस्येव

विविक्षित्वाल्लक्ष्यते । दिग्ब्रतसंक्षेपकरणं चात्रान्यगुणव्रतादि-  
संक्षेपकरणस्याप्युपलक्षणं द्रष्टव्यं । एषामपि संक्षेपस्यावद्यकर्त-  
व्यत्वात्प्रतिवर्तं च संक्षेपकरणस्य मिन्नव्रतत्वे गुणाः स्युद्धादशेति  
संख्याविरोधः स्यात् ॥

पं० आशाधरजीके इन वाक्योंसे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि उमास्वातिका शासन, चाहे वह किसी भी विविक्षासे\* क्यों न हो, इस विषयमें समन्तभद्रके शासनसे और उन श्वेताम्बर आचार्योंके शासनसे विभिन्न है जिन्होंने 'देशावकाशिक' को शिक्षाव्रत प्रतिपादन किया है ।

(४) स्वामिकातिंकैयने, अपने 'अनुपेक्षा' ग्रन्थमें देशाव-  
काशिकको चौथा शिक्षाव्रत प्रतिपादन किया है । अर्थात्, शिक्षाव्रतोंमें  
उसे पहला दर्जा न देकर अन्तका दर्जा प्रदान किया है । साथ ही,  
उसके स्वरूपमें दिशाओंके परिमाणको संकोचनेके साथ साथ इन्द्रियोंके  
विषयोंको अर्थात् भोगोपभोगके परिमाणको भी संकोचनेका विवान  
किया है । यथा:—

पुब्वप्रमाणकदाणं सञ्चादिसीणं पुणोवि संवरणं ।

इन्द्रियविसयाण तहा पुणोवि जो कुणादि संवरणं ॥ ३६७ ॥

वासादिक्यप्रमाणं दिणेदिणे लोहकामसमणत्थं ।

सावज्जवज्जणादुं तस्स चउत्थं वयं होदि ॥ ३६८ ॥

\* पं० आशाधरजीने जिस विविक्षाका उल्लेख किया है उसके अनुसार 'देश-  
व्रत' गुणव्रत हो सकता है और उसका नियम भी यावज्जीवके लिये किया जा  
सकता है । इसी तरह भोगोपभोगपरिमाण यावज्जीविक भी होता है, ऐसा न मान-  
कर यदि उसे नियतकालिक ही माना जावे तो इस विविक्षासे वह शिक्षाव्रतोंमें भी  
जासकता है । विविक्षासे केवल विरोधका परिहार होता है । परंतु शासनभेद  
और भी अधिकताके साथ दृढ़ तथा स्पष्ट हो जाता है ।

इस तरह उनके इस ब्रतका क्रम तथा विषय समन्तभद्रके क्रम तथा विषयसे कुछ भिन्न है और इस भिन्नताके कारण दूसरे शिक्षाव्रतोंके क्रममें भी भिन्नता आ गई है—उनके नम्बर बदल गये हैं । इसके सिवाय, स्वामिकार्तिकेयने ‘वैद्यावृत्य’ के स्थानमें ‘दान’ का ही विधान किया है \* । इन सब विभिन्नताओंके सिवाय, अन्य प्रकारसे उनका शासन, इस विषयमें, समन्तभद्रके शासनसे प्रायः मिलता जुलता है । और इस लिये यह कहनेमें कोई संकोच नहीं हो सकता कि स्वामिकार्तिकेयका शासन कुन्दकुन्द, उमास्वाति, पूज्यपाद, विद्यानन्द, सौमदेव, अमितगति और कुछ समन्तभद्रके शासनसे भी भिन्न है ।

(५) श्रीजिनसेनाचार्य, ‘आदिपुराण’ के १०वें पर्वमें, लिखते हैं:—

दिग्देशानर्थदंडेभ्यो विरतिः स्याद्गुणव्रतम् ।

ओगोपभोगसंख्यानमप्याहुस्तद्गुणव्रतम् ॥ ६५ ॥

समतां प्रोषधविधिं तथैवातिथिसंग्रहम् ।

मरणान्ते च संन्यासं प्राहुः शिक्षाव्रतान्यपि ॥ ६६ ॥

अर्थात्—दिग्विरति, देशविरति, अनर्थदंडविरति, ये (तीन) गुणव्रत हैं; भोगोपभोगपरिमाणको भी गुणव्रत कहते हैं । समता (सामायिक), प्रोषधविधि, अतिथिसंग्रह (अतिथिपूजन) और मरणके संनिकट होने पर संन्यास, इन (चारों) को शिक्षाव्रत कहते हैं ।

इससे माल्हम होता है कि श्रीजिनसेनाचार्यका मत, इस विषयमें, समन्तभद्रके मतसे बहुत कुछ भिन्न है । उन्होंने देशविरतिको शिक्षाव्रतोंमें न रख कर उमास्वाति तथा पूज्यपादादिके सदृश उसे गुणव्रतोंमें

\* “दाणं जो देदि सर्यं णचदाणविहींहि संजुत्तो ॥

सिक्खावर्यं च तिदियं तस्स.हवे.....॥

रखा है, और साथ ही संन्यास (सल्लेखना) को भी शिक्षाव्रत प्रतिपादन किया है। इसके सिवाय, भोगोपभोगपरिमाणको भी जो उन्होंने गुणव्रत सूचित किया है उसे केवल समन्तभद्रादिके मतका उल्लेख मात्र समझना चाहिये। अन्यथा, गुणव्रतोंकी संख्या चार हो जायगी, और यह मत प्रायः सभीसे भिन्न ठहरेगा। हाँ, इतना चखर है कि इसमें गुणव्रतसम्बन्धी प्रायः सभी मतोंका समावेश हो जायगा। शिक्षाव्रतोंके सम्बन्धमें आपका मत, कुन्दकुन्दको छोड़कर, उमास्वाति, पूज्यपाद, विद्यानन्द, सोमदेव, अमितगति, समन्तभद्र और स्वामीकार्तिकेय आदि प्रायः सभी आचार्योंसे भिन्न पाया जाता है।

(६) श्रीवसुनन्दी आचार्यने, अपने श्रावकाचारमें, शिक्षाव्रतोंके १ भोगविरति, २ परिभोगनिवृत्ति; ३ अतिथिसंविभाग और ४ सल्लेखना, ये चार नाम दिये हैं। यथा:—

“तं भोयविरह भणियं पढमं सिक्खावयं सुत्ते ।”

“तं परिभोयणिवृत्ति विदियं सिक्खावयं जाणे ।”

“अतिहिस्स संविभागो तिदियं सिक्खावयं मुणेयव्वं ।”

“सल्लेखणं चउत्थं सुत्ते सिखावयं भणियं ।”

इससे स्पष्ट है कि वसुनन्दी आचार्यका शासन, इस विषयमें, पहले कहे हुए सभी आचार्योंके शासनसे एकदम विभिन्न है। आपने भोग-परिभोगपरिमाण नामके व्रतको, जिसे किसीने गुणव्रत और किसीने शिक्षाव्रत माना था, दो दुकड़ोंमें विभाजित करके उन्हें शिक्षाव्रतोंमें सबसे पहले दो व्रतोंका स्थान प्रदान किया है और भोगविरतिके सम्बन्धमें लिखा है कि उसे सूत्रमें पहला शिक्षाव्रत बतलाया है। माल्हम नहीं वह कौनसा सूत्र-ग्रन्थ है, जिसमें केवल भोगविरतिको प्रथम शिक्षाव्रत

प्रतिपादन किया है। इसके सिवाय, आपने सामायिक और प्रोषधो-  
पवास नामके दो व्रतोंको, जिन्हें उपर्युक्त सभी आचार्योंने शिक्षाव्रतोंमें  
रखा है, इन व्रतोंकी पंक्तिमें से ही कृतई निकाल डाला है। शायद,  
आपको यह ख्याल हुआ हो कि, जब 'सामायिक' और 'प्रोषधोपवास'  
नामकी दो प्रतिमाएँ ही अलग हैं तब व्रतिक प्रतिमामें इन दोनों व्रतोंके  
रखनेकी क्या जरूरत है और इसी लिये आपको वहाँसे इन व्रतोंके  
निकालनेकी जरूरत पड़ी हो, अथवा इस निकालनेकी कोई दूसरी ही  
वजह हो। कुछ भी हो, यहाँ मैं, इस विषयमें, कुछ विशेष विचार  
उपस्थित करनेकी जरूरत नहीं समझता। परन्तु इतना जरूर कहूँगा,  
कि बारह व्रतोंमें—व्रतिक प्रतिमामें—सामायिक और प्रोषधोपवास  
शीलरूपसे निर्दिष्ट हैं और अपने अपने नामकी प्रतिमाओंमें वे व्रत-  
रूपसे प्रतिपादित हुए हैं \*। 'शील'का लक्षण अकलंकदेव और  
विद्यानन्दने, अपने अपने वार्तिकोंमें 'व्रतपरिरक्षण' किया है। पूज्य-  
पाद भी 'व्रतपरिरक्षणार्थं शीलं' ऐसा लिखते हैं। जिस प्रकार  
परिधियाँ नगरकी रक्षा करती हैं उसी प्रकार 'शील' व्रतोंकी पालना  
करते हैं, ऐसा श्रीअमृतचन्द्र आचार्यका कहना है x। शेताम्बराचार्य  
श्रीसिद्धसेनगणि और यशोभद्रजी भी अणुव्रतोंकी दृढ़ताके लिये  
शीलव्रतोंका उपदेश बतलाते हैं j। अतः अहिंसादिक व्रतोंकी रक्षा,

\* यत्प्राकृ सामायिकं शीलं तद्वत्तं प्रतिमावतः ।

यथा तथा प्रोपधोपवासोऽपीत्यत्र युक्तिवाकृ ॥

—सागरधर्मामृते, आशाधरः ।

x परिधय इव नगराणि व्रतानि किल पालयन्ति शीलानि ।

—पुज्यार्थसिद्धशुपायः ।

॥ प्रतिप्रस्थाणुव्रतस्थाणारिणस्तेषामेवाणुव्रतानां दात्यापादनाय  
शीलोपदेशः ।

—तत्वार्थसुब्रटीका ।

परिपालना और दृढ़ता सम्पादन करना ही सतशीलोंका मुख्य उद्देश्य है। और इस दृष्टिसे सतशीलोंमें वर्णित सामायिक और प्रेषधोपवासको नगरकी परिधि और शस्यकी वृति (धान्यकी बाड़ ) के समान अणुव्रतोंके परिरक्षक समझना चाहिये। वहाँ पर मुख्यतया रक्षणीय व्रतोंकी रक्षाके लिय उनका केवल अभ्यास होता है, वे स्वतन्त्र व्रत नहीं होते। परन्तु अपनी अपनी प्रतिमाओंमें जाकर वे स्वतन्त्र व्रत बन जाते हैं और तब परिधि अथवा वृति (बाड़ ) के समान दूसरोंके केवल रक्षक न रहकर नगर अथवा शस्यकी तरह स्वयं प्रधानतया रक्षणीय हो जाते हैं और उनका उस समय निरतिचार पालन किया जाता है\*। यही इन व्रतोंकी दोनों अवस्थाओंमें परस्पर भेद पाया जाता है।

माल्यम नहीं उक्त वसुनन्दी सैद्धान्तिकने, श्रीकुन्दकुन्द, शिवकोटि, तथा देवसेनाचार्य और जिनसेनाचार्यने भी, सछेखनाको शिक्षाव्रतोंमें

\* सातिचार और निरतिचारका यह भत्तभेद 'लाटीसंहिता' के निम्न वाक्यसे जाना जाता है:—

“सातिचारं तु तत्र स्यादत्रातीचारवर्जितम् ।”

इस संहितामें यह भी लिखा है कि व्रतप्रतिमामें यदि किसी समय किसी वजहसे इन सामायिकादिक व्रतोंका अनुष्ठान न किया जाय तो उससे व्रतको हानि नहीं पहुँचती, परन्तु अपनी प्रतिमामें जाकर उनके न करनेसे जरूर हानि पहुँचती है। जैसा कि सामायिक-विषयके उसके निम्न वाक्योंसे प्रकट है:—

तत्र हेतुवशात्कापि कुर्यात्कुर्यान्नवा क्वचित् ।

सातिचारव्रतात्वाद्वा तथापि न व्रतक्षतिः ॥

अत्रावद्यं त्रिकालेऽपि कार्यं सामायिकं च यत् ।

अन्यथा व्रतहानिः स्यादतीचारस्य का कथा ॥

क्यों रखा है, जबकी शिक्षावत् अभ्यासके लिये नियत किये गये हैं और सल्लेखना मरणके सन्त्रिकट होनेपर एक बार प्रहण की जाती है, उसका पुनः पुनः अनुष्ठान नहीं होता और इसलिये उसके द्वारा प्रायः कोई अभ्यासविशेष नहीं बनता। दूसरे, प्रतिमाओंका विषय अपने अपने पूर्वगुणोंके साथ क्रम-विवृद्ध बतलाया गया है। अर्थात्, उत्तर-उत्तरकी प्रतिमाओंमें, अपने अपने गुणोंके साथ, पूर्व-पूर्वकी प्रतिमाओंके सारे गुण विद्यमान होने चाहिये\*। वारह वर्तमें सल्लेखनाको स्थान देनेसे 'व्रतिक' नामकी दूसरी प्रतिमामें उसकी पूर्ति आवश्यक हो जाती है। विना उस गुणकी पूर्तिके अगली प्रतिमाओंमें आरोहण नहीं हो सकता और सल्लेखनाकी पूर्तिपर शारीरकी ही समाप्ति हो जाती है, फिर अगली प्रतिमाओंका अनुष्ठान कैसे बन सकता है? अतः सल्लेखनाको शिक्षावत् मानकर दूसरी प्रतिमामें रखनेसे तीसरी सामायिकादि प्रतिमाओंका अनुष्ठान अशक्य हो जाता है और वे केवल कथनमात्र रह जाती हैं, यह बड़ा दोष आता है। इस पर विद्वानोंको विचार करना चाहिये। इसी लिये प्रसंग पाकर यहाँ पर यह विकल्प उठाया गया है। सम्भव है कि ऐसे ही किन्हीं कारणोंसे समन्तभद्र, उमास्वाति, सोमदेव, अमितगति और स्वामिकार्तिकेयादि आचार्योंने सल्लेखनाको शिक्षावतोंमें स्थान न दिया हो, अथवा चसुनन्दी आदिकका सल्लेखनाको शिक्षावत् करार देनेमें कोई दूसरा ही हेतु हो। उन्हें प्रतिमाओंके विषयका अपने पूर्व गुणोंके साथ विवृद्ध

\* शावकपदानि देवैरेकादश देशितानि येषु खलु ।

स्वगुणः पूर्वगुणः सह तिष्ठन्ते क्रमविवृद्धाः ॥

—रत्नकरण्डके, समन्तभद्रः ।

होना ही इष्ट न हो । कुछ भी हो, उसके मालूम होनेकी जरूरत है । और उससे आचार्योंका शासनभेद और भी अधिकताके साथ व्यक्त होगा ।

गुणवत्तोंके सम्बन्धमें भी वसुनन्दीकां शासन समन्तभद्रादिके शासनसे विभिन्न है उन्होंने दिग्विरति, देशविरति और संभवतः अनर्थदंडविरतिको गुणवत्त करार दिया है । अनर्थदंडके साथमें 'संभवतः' शब्द इस वजहसे लगाया गया है कि उन्होंने अपने प्रन्थमें उसका नाम नहीं दिया । और लक्षण अथवा स्वरूप जो दिया है वह इस प्रकार हैः—

अयदंडपासचिक्य कूडतुलामाणकूरसत्ताणं ।

जं संगहो ण कीरइ तं जाण गुणव्यं तिदियं ॥

इसमें लोहेके दंड-पाशको न बेचने और झूठी तराजू, झूठे बाट तथा त्रूप जन्तुओंके संग्रह न करनेको तीसरा गुणवत्त बतलाया गया है । अनर्थदंडका यह लक्षण अथवा स्वरूप समन्तभद्रादिकके पंचभेदात्मक अनर्थदंडके लक्षण तथा स्वरूपसे विलकुल विलक्षण मालूम होता है । इसी तरह देशविरतिका लक्षण भी आपका औरेंसे विभिन्न पाया जाता है । आपने उस देशमें गमनके त्यागको देशविरति बतलाया है जहाँ व्रतभंगका कोई कारण मौजूद हो \* । और इस लिये जहाँ व्रतभंगका कोई कारण नहीं उन देशोंमें गमनका त्याग आपके उक्त व्रतकी सीमासे बाहर समझना चाहिये । दूसरे आचार्योंके मतानुसार देशावकाशिक व्रतके लिये ऐसा कोई नियम नहीं है । वे कुछ कालके लिये दिग्वित-द्वारा ग्रहण किये हुए क्षेत्रके एक खास देशमें स्थितिका संकल्प करके

\* वयभंगकारणं होई जस्मिन् देसास्मिन् तत्थं प्रियमेण ।

कीरइ गमणणियत्ती तं जाण गुणव्यं विदियं ॥ २१४ ॥

अन्य संपूर्ण देशों—भागों—के त्यागका विधान करते हैं चाहे उनमें व्रतभंगका कोई कारण हो या न हो । जैसा कि देशावकाशिक व्रतके निम्न लक्षणसे प्रकट है:—

स्थास्यामीदभिदं यावदियत्कालमिहासपदे ।

इति संकल्प्य संतुष्टस्तिष्ठन्देशावकाशिकी ॥

—इत्याशाधरः ।

यहाँ पर मुझे इन व्रतोंके लक्षणादिसम्बन्धी विशेष मतभेदको दिखलाना इष्ट नहीं है । वह वसुनन्दीसे पहले उद्घेष्व किये हुए आचारोंमें भी, थोड़ा बहुत, पाया जाता है । और इन व्रतोंके अतिचारोंमें भी अनेक आचारोंके परस्पर मतभेद है, इस संपूर्ण मतभेदको दिखलानेसे लेख बहुत बढ़ जायगा । अतः लक्षण, स्वरूप तथा अतीचारसंबंधी विशेष मतभेदको फिर किसी समय दिखलानेका यत्न किया जायगा । यहाँ, इस समय, सिर्फ़ इतना ही समझना चाहिये कि इन दोनों प्रकारके व्रतोंके भेदादिकप्रतिपादनमें आचारोंके परस्पर बहुत कुछ मतभेद है । इन व्रतोंका विपयक्रम कक्षाओंके पठनक्रम (कोर्स course) की तरह समय समयपर बदलता-रहा है । और इस लिये यह कहना बहुत कठिन है कि महावीर भगवानने इन विभिन्न शासनोंमें कौनसे शासनका प्रतिपादन किया था । संभव है कि उनका शासन इन सबोंसे कुछ विभिन्न रहा हो । परंतु इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इन विभिन्न शासनोंमें परस्पर सिद्धान्तभेद नहीं है—जैनसिद्धान्तोंसे कोई विरोध नहीं आता—और न इनके प्रतिपादनमें जैनाचारोंका परस्पर कोई उद्देश्यभेद पाया जाता है । सबोंका उद्देश्य सावध कर्मोंके स्वागतीकी परिणातिको क्रमशः बढ़ाने—उसे अणुव्रतोंसे महाव्रतोंकी ओर ले जाने—और लोभादिकका निग्रह कराकर संतोषके साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करानेका माल्यम होता है । हाँ दृष्टिभेद,

धर्मेक्षभेद, विषयभेद, क्रमभेद, प्रतिपादकोंकी समझ और प्रतिपादोंकी स्थिति आदिका भेद अवश्य है, जिसके कारण उक्त शासनोंको विभिन्न ऊरुर मानना पड़ेगा। और इस लिये यह कभी नहीं कहा जा सकता कि महावीर भगवानने ही इन सब विभिन्न शासनोंका विधान किया था—उनकी वाणीमें ही ये सब मत अथवा इनके प्रतिपादक शास्त्र इसी रूपसे प्रकट हुए थे। ऐसा मानना और समझना नितान्त भूलसे परिपूर्ण तथा वस्तुस्थितिके विरुद्ध होगा। अतः श्रीकुंदकुंदाचार्यने गुणवतोंके संबंधमें, ‘एव, शब्द लगाकर—इयमेव गुणव्या तिष्ण’ ऐसा लिखकर—जो यह नियम दिया है कि, दिशा-विदिशाओंका परिमाण, अनर्थदंडका त्याग और भोगोपभोगका परिमाण, ये ही तीन गुणव्रत हैं, दूसरे नहीं, इसे उस समयका, उनके सम्प्रदायका अथवा खास उनके शासनका नियम समझना चाहिये। और श्रीअमित-गतिने ‘जिनेश्वरसमाख्यातं त्रिविधं तद्गुणव्रतं’ इस वाक्यके द्वारा दिग्विरति, देशविरति और अनर्थदंडविरतिको जो जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ गुणव्रत बतलाया है उसका आशय प्रायः इतना ही लेना चाहिये कि आसितगति इन ब्रतोंको जिनेन्द्रदेवका—महावीर भगवानका—कहा हुआ समझते थे अथवा अपने शिष्योंको इस ढंगसे समझाना उन्हें इष्ट था। इसके सिवाय, यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि महावीर भगवानने ही इन दोनों प्रकारके गुणवतोंका प्रतिपादन किया था। इसी तरह अन्यत्र भी जानना।

व्रास्तवमें हर एक आचार्य उसी मतका प्रतिपादन करता है जो उसे इष्ट होता है और जिसे वह अपनी समझके अनुसार सबसे अच्छा तथा उपयोगी समझता है। और इस लिये इन

विभिन्न शासनोंको आचार्योंका अपना अपना मत समझना चाहिये। मेरी रायमें ये सब शासन भी, जैसा कि पहले प्रकट किया जा चुका है, पापरोगकी शांतिके नुसखे ( Prescriptions ) हैं — ओपथिकल्प हैं — जिन्हें आचार्योंने अपने अपने देशों तथा समयोंके शिष्योंकी प्रकृति और योग्यता आदिके अनुसार तय्यार किया था। और इस लिये सर्व देशों, सर्व समयों और सर्व प्रकारकी प्रकृतिके व्यक्तियोंके लिये अमुक एक ही नुसखा उपयोगी होगा, ऐसा हठ करनेकी ज़खरत नहीं है। जिस समय और जिस प्रकारकी प्रकृति आदिके व्यक्तियोंके लिये वैसे ही ओषधिकल्पोंका प्रयोग किया करते हैं। अनेक नये नये ओपथिकल्प गढ़े जाते हैं, पुरानोंमें फेरफार किया जाता है और ऐसा करनेमें कुछ भी आपत्ति नहीं होती, यदि वे सब रोगशांतिके विरुद्ध न हों। इसी तरहपर देशकालानुसार किये हुए आचार्योंके उपर्युक्त भिन्न शासनोंमें भी प्रायः कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। क्योंकि वे सब जैनसिद्धान्तोंके अविरुद्ध हैं। हाँ, आपेक्षिक दृष्टिसे उन्हें प्रशस्त अप्रशस्त, सुगम दुर्गम, अल्पविषयक वहु-विषयक, अल्पफलसाधक वहुफलसाधक इत्यादि जखर कहा जा सकता है, और इस प्रकारका भेद आचार्योंकी योग्यता और उनके तत्त्वकालीन विचारों पर निर्भर है। अस्तु ।

इसी सिद्धान्ताविरोधकी दृष्टिसे यदि आज कोई महात्मा वर्तमान देशकालकी परिस्थितियोंको ध्यानमें रखकर उपर्युक्त शीलन्रतोंमें भी कुछ फेरफार करना चाहे और उदाहरणके तौरपर १ क्षेत्र ( दिग्देश ) -

परिमाण, २ अनर्थदंडविरति, ३ भोगोपभोगपरिमाण, ४ आवृश्यकतानुत्पादन, ५ अन्तःकरणानुवर्तन, ६ सामायिक और ७ निष्कामसेवा ( अनपेक्षितोपकार ) नामके सप्तशीलन्त्रत, अथवा गुणन्त्रत और शिक्षान्त्रत, स्थापित करे तो वह खुशीसे ऐसा कर सकता है। उसमें कोई आपत्ति किये जानेकी जरूरत नहीं है और न यह कहा जा सकता है कि उसका ऐसा विधान जिनेंद्रदेवकी आज्ञाके विरुद्ध है अथवा महावीर भगवानके शासनसे वाहर है; क्योंकि उक्त प्रकारका विधान जैनसिद्धान्तोंके विरुद्ध नहीं होता वह सब महावीर भगवानके अनुकूल है। उसे प्रकारान्तरसे जैनसिद्धान्तोंकी व्याख्या अथवा उनका व्यावहारिक लूप समझना चाहिये, और इस दृष्टिसे उसे महावीर भगवानका शासन भी कह सकते हैं। परंतु भिन्न शासनोंकी हालतमें महावीर भगवानने यही कहा, ऐसा ही कहा, इसी क्रमसे कहा हत्यादिक मानना मिथ्या होगा और उसे प्रायः मिथ्यादर्शन समझना चाहिये। अतः उससे बचकर यथार्थ वस्तुस्थितिको जानने और उसपर ध्यान रखनेकी कोशिश करनी चाहिये। इसीमें वास्तविक हित संनिहित है। और यह बात पहले भी बतलाई जा चुकी है।

यहाँ श्वेताम्बर आचार्योंकी दृष्टिसे मैं, इस समय, सिर्फ़ इतना और बतलादेना चाहता हूँ कि, श्वेताम्बरसम्प्रदायमें अमतौरपर १ दिग्नत्र, २ उपभोगपरिभोगपरिमाण, ३ अनर्थदंडविरति, इन तीनको गुणन्त्रत और १ सामायिक, २ देशावकाशिक, ३ प्रोषधोपवास, ४ अतिथि

---

१. जरूरतोंको बढ़ने न देना, प्रत्युत घटाना। २. अन्तःकरणकी आवाज़के विरुद्ध न चलना।

संविभाग, इन चारको शिक्षाव्रत माना है\*। उनका 'श्रावकप्रज्ञसि' नामक ग्रंथ भी इन्हींका विधान करता है और, 'योगशास्त्र'में, श्रीहेम-चंद्राचार्यने भी इन्हीं व्रतोंका, इसी क्रमसे, प्रतिपादन किया है। तत्त्वार्थसूत्रके टीकाकार श्रीसिद्धसेनगणि और यशोभद्रजी, अपनी अपनी टीकाओंमें, लिखते हैं:—

“गुणव्रतानि त्रीणि दिग्भोगपरिभोगपरिमाणानर्थदंडविरति-संज्ञानि....शिक्षापदव्रतानि सामायिकदेशावकाशिकप्रोषधोपवासा-तिथिसंविभागाख्यानि चत्वारि ।”

इससे भी उक्त व्रतोंका समर्थन होता है। बल्कि इन दोनों टीकाकारोंने जिस प्रकारसे उमास्वातिपर आर्षक्रमोल्लंघनका आरोप लगाकर उसका समाधान किया है, और जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, उससे ऐसा मालूम होता है कि इवेताम्बरसम्प्रदायके आगमग्रंथोंमें भी, जिन्हें वे गणधर सुधर्मास्वामी आदिके बनाये हुए बतलाते हैं, इन्हीं सब व्रतोंका इसी क्रमसे विधान किया गया है। परंतु उनमें गुणव्रत और शिक्षाव्रतका विभाग भी किया गया है या कि नहीं, यह बात अभी संदिग्ध है। क्योंकि 'उपासकदशा' नामके आगम ग्रंथमें, जो द्वादशांगवाणीका सातवाँ अंग कहलाता है, ऐसा कोई विभाग नहीं है। उसमें इन व्रतोंको, उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्र, तत्त्वार्थाधिगमभाष्य और

\* ये सब व्रत प्रायः वही हैं जो ऊपर स्वामी समंतभद्राचार्यके शासनमें दिखलाये गये हैं और इस लिये इवेताम्बर आचार्योंका शासन, इस विषयमें, प्रायः समंतभद्रके शासनसे मिलता जुलता है। सिफ़्ट दो एक व्रतोंमें, क्रमसेव अवश्य है। समंतभद्रने अनर्थदंडविरतिको दूसरे नम्बर पर रखा है और यहाँ उसे तीसरा स्थान प्रदान किया गया है। इसी तरह शिक्षाव्रतोंमें देशावकाशिकको यहाँ पहले नम्बर पर न रख कर दूसरे नम्बर पर रखा गया है। इसके सिवाय, चौथे शिक्षाव्रतके नाममें भी कुछ परिवर्तन है।

सूत्रकी उक्त दोनों टीकाओंकी तरह, शीलव्रत भी नहीं लिखा, वल्कि सात शिक्षाव्रत बतलाया है। यथा:—

“ समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए पंचाणुच्छव्ययं सत्तसि-  
क्खाव्ययं दुवालसविहं गिहिधम्मं पडिवज्ञाहि । ”

इसके सिवाय, ‘अतिथिसंविभाग’ को ‘यथा संविभाग’ व्रत प्रतिपादन किया है। इससे ऐसा माल्यम होता है कि श्वेताम्बर संप्रदायमें पहले इन व्रतोंको सात शिक्षाव्रत माना जाता था, बादमें दिगम्बर सम्प्रदाय की तरह इनके गुणव्रत और शिक्षाव्रत ऐसे दो विभाग किये गये हैं। साथ ही, इन्हें ‘शील’ संज्ञा भी दी गई है। इसी तरह यथा-संविभागके स्थानमें बादको अतिथिसंविभागका परिवर्तन किया गया है। संभव है कि इस बादके संपूर्ण परिवर्तनको कुछ आचार्योंने स्वीकार किया हो और कुछने स्वीकार न किया हो। और यह भी संभव है कि दूसरे आगमग्रंथोंमें पहले हीसे गुणव्रत और शिक्षाव्रतके व्यपदेशको लिये हुए इन व्रतोंका शीलन्तरखप्से विधान हो और वौर्धे शिक्षाव्रतका नाम अतिथिसंविभाग ही दिया हो। परंतु इस पिछली बातकी संभावना बहुत ही कम—प्रायः नहींके बराबर—जान पड़ती है; क्योंकि श्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रौढ़ विद्वान् हरिभद्रसूरिने, ‘श्रावकप्रश्नाति’ की टीकामें ‘विचित्रत्वाच्च देशविरतेः’ नामका जो वाक्य दिया है, और जो ‘अष्टमूलगुण’ नामक प्रकरणमें उद्धृत किया जा चुका है, उससे यह साफ व्यनित होता है कि ‘उपासकदशा’से भिन्न श्वेताम्बरोंके दूसरे आगमग्रंथोंमें देशविरति (श्रावक) की कोई विशेष विधि नहीं है। इसीसे हरिभद्रसूरि देशविरतिकी विधिको ‘विचित्र’ तथा ‘अनियमित’ बतलाते हैं और उसे अपनी बुद्धिसे पूरा करनेकी अनुमति देते हैं। इत्यलम् ।

सरसावा निः० सहारनपुर

ता० ११ जून, सन् १९२०

जुगलकिशोर मुख्तार

# परिशिष्ट

( क )

## जैनतीर्थकरोंका शासनभेद

जैनसमाजमें, श्रीवद्वेराचार्यका बनाया हुआ 'मूलाचार' नामका एक यत्याचार-विषयक प्राचीन ग्रन्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है। मूल ग्रन्थ प्राकृत-भाषामें है, और उसपर वसुनन्दी सैद्धान्तिककी बनाई हुई 'आचार-शृण्टि' नामकी एक संस्कृत टीका भी पाई जाती है। इस ग्रन्थमें, सामायिकका वर्णन करते हुए, ग्रन्थकर्ता महोदय लिखते हैं:—

वावीसं तित्थयरा सामाइयं संजमं उवदिसंति ।

छेदोवदावणियं पुण भयवं उसहो य वीरो य ॥ ७-३२ ॥

अर्थात्—अजितसे लेकर पार्श्वनाथ पर्यन्त वाईसं तीर्थकरोंने 'सामायिक' संयमका और ऋषभदेव तथा महावीर भगवानने 'छेदोपस्थापना' संयमका उपदेश दिया है।

यहाँ मूल गाथामें दो जगह 'च' (य) शब्द आया है। एक चंकारसे परिहारविशुद्धि आदि चारित्रिका भी ग्रहण किया जा सकता है। और तब यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋषभदेव और महावीर भगवानने सामायिकादि पाँच प्रकारके चारित्रिका प्रतिपादन किया है, जिसमें छेदोपस्थापनाकी यहाँ प्रधानता है। शेष वाईस तीर्थकरोंने केवल सामायिक चारित्रिका प्रतिपादन किया है। अस्तु। आदि और अन्तके दोनों तीर्थकरोंने छेदोपस्थापन संयमका प्रतिपादन क्यों किया है? इसका उत्तर आचार्यमहोदय आगेकी दो गाथाओंमें इस प्रकार देते हैं:—

आचकिखदुं विभजिदुं विणादुं चावि सुहदरं होदि ।  
 एदेण कारणेण दु महव्वदा पंच पण्णता ॥ ३३ ॥  
 आदीए दुव्विसोधणे णिहणे तह सुहु दुरणुपालेया ।  
 पुरिमा य पच्छिमा वि हु कप्पाकप्पं ण जाणंति ॥ ३४ ॥

टीका—“.....येत्सादन्यस्मै प्रतिपादयितुं स्वेच्छानुष्ठातुं विभक्तुं विज्ञातुं चापि भवति सुखतरं सामायिकं तेन कारणेन भगवतानि पंच प्रज्ञासानीति ॥ ३३ ॥”  
 “आदितीर्थे शिष्या दुःखेन शोध्यन्ते सुष्टु ऋजुस्वभावा यतः । तथा च पश्चिमतीर्थे शिष्या दुःखेन प्रतिपाल्यन्ते सुष्टु वक्तस्वभावा यतः । पूर्वकालशिष्याः पश्चिम-कालशिष्याश्च अपि सुकुठं कल्पं योग्यं अकल्पं अयोग्यं न जानन्ति यतस्तत आदौ निधने च छेदोपस्थापनमुपदिशत इति ॥ ३४ ॥”

अर्थात्—पांच महाव्रतों (छेदोपस्थापना)का कथन इस वजहसे किया गया है कि इनके द्वारा सामायिकका दूसरोंको उपदेश देना, स्वयं अनुष्ठान करना, पृथक पृथक रूपसे भावनामें लाना और सविशेषरूपसे समझना सुगम हो जाता है । आदिम तीर्थमें शिष्य मुश्किलसे शुद्ध किये जाते हैं; क्योंकि वे अतिशय सरलस्वभाव होते हैं । और अन्तिम तीर्थमें शिष्यजन कठिनतासे निर्वाह करते हैं; क्योंकि वे अतिशय वक्तस्वभाव होते हैं । साथ ही, इन दोनों समयोंके शिष्य स्पष्टरूपसे योग्य अयोग्यको नहीं जानते हैं । इसलिये आदि और अन्तके तीर्थमें इस छेदोपस्थापनाके उपदेशकी ज़रूरत पैदा हुई है ।

यहाँपर यह भी प्रकट कर देना चाहरी है कि छेदोपस्थापनामें हिंसादिकके भेदसे समस्त सावद्यकर्मका त्याग किया जाता

<sup>१</sup> इससे पहले, टीकामें, गाथाका शब्दार्थ मात्र दिया है ।

है॥ । इसलिये छेदोपस्थापनाकी 'पंचमहाव्रत' संज्ञा भी है, और इसी लिये आचार्यमहोदयने गाथा नं० ३३में छेदोपस्थापनाका 'पंचमंहाव्रत' शब्दोंसे निर्देश किया है । अस्तु । इसी ग्रन्थमें, आगे 'प्रतिक्रमण' का वर्णन करते हुए, श्रीवद्वकेरस्वामीने यह भी लिखा है:—

सपडिकमणो धम्मो पुरिमस्स य पच्छिमस्स जिणस्स ।  
अवराहपडिकमणं मज्जिमयाणं जिणवराणं ॥ ७-१२५ ॥

\* 'तत्त्वार्थराजवार्तिक'में भट्टाकलंकदेवने भी छेदोपस्थापनाका ऐसा ही स्वरूप प्रतिपादन किया है । यथा:—

"सावद्यं कर्म हिंसादिभेदेन विकल्पनिवृत्तिः छेदोपस्थापना ।"

इसी ग्रन्थमें अकलंकदेवने यह भी लिखा है कि सामायिककी अपेक्षा व्रत एक है और छेदोपस्थापनाकी अपेक्षा उसके पाँच भेद हैं । यथा:—

"सर्वसावद्यनिवृत्तिलक्षणसामायिकापेक्षया पकं व्रतं, भेदपरतंत्र-  
च्छेदोपस्थापनापेक्षया पंचविधं व्रतम् ।"

श्रीपूज्यपादाचार्यने भी 'सर्वार्थसिद्धि' में ऐसा ही कहा है । इसके सिवाय, श्रीवीरनन्दी आचार्यने, 'आचारसार' ग्रन्थके पाँचवें अधिकारमें, छेदोपस्थापनाका जो निम्न स्वरूप वर्णन किया है उससे इस विषयका और भी समष्टीकरण हो जाता है । यथा:—

ब्रतसमितिगुस्तिः पंच पंच त्रिभिर्मैतैः ।  
छेदैभेदैरुपेत्यार्थं स्थापनं स्वस्थितिक्रिया ॥ ६ ॥  
छेदोपस्थापनं प्रोक्तं सर्वसावद्यवर्जने ।  
ब्रतं हिंसाऽनृतस्तेयाऽब्रह्मसंगव्यसंगमः ॥ ७ ॥

अर्थात्—पाँच व्रत, पाँच समिति और तीन गुस्ति नामके छेदों-भेदोंके द्वारा अर्थको प्राप्त होकर जो अपने आत्मामें स्थिर होने रूप किया है उसको छेदोपस्थापना या छेदोपस्थापन कहते हैं । समस्त सावद्यके त्यागमें छेदोपस्थापनाको हिंसा, झट, चोरी, भैशुन (अव्रद्ध) और परिग्रहसे विरति रूप ब्रत कहा है ।

जावे दु अप्पणो वा अण्णदरे वा भवे अदीचारो ।  
तावे दु पडिकमणं मज्जमयाणं जिणवराणं ॥ १२६ ॥

इरियागोयरसुभिणादि सञ्चमाचरदु मा च आचरदु ।  
पुरिमचरिमा दु सञ्चे सञ्चे णियमा पडिकमदि ॥ १२७ ॥

अर्थात्—पहले और अन्तिम तीर्थकरका धर्म, अपराधके होने और  
न होनेकी अपेक्षा न करके, प्रतिक्रमण-सहित प्रवर्त्तता है । पर मध्यके  
बाईस तीर्थकरोंका धर्म अपराधके होनेपर ही प्रतिक्रमणका विधान करता  
है । क्योंकि उनके समयमें अपराधकी वहुलता नहीं होती । मध्यवर्ती  
तीर्थकरोंके समयमें जिस व्रतमें अपने या दूसरोंके अतीचार लगता है ।  
उसी व्रतसम्बन्धी अतीचारके विषयमें प्रतिक्रमण किया जाता है ।  
विपरीत इसके, आदि और अन्तके तीर्थकरों (ऋषभदेव और महावीर)  
के शिष्य ईर्या, गोचरी और स्वप्नादिसे उत्पन्न हुए समस्त अतीचारोंका  
आचरण करो अथवा मत करो उन्हें समस्त प्रतिक्रमण-दण्डकोंका  
उच्चारण करना होता है । आदि और अन्तके दोनों तीर्थकरोंके शिष्योंको  
क्यों समस्त प्रतिक्रमण-दण्डकोंका उच्चारण करना होता है और क्यों  
मध्यवर्ती तीर्थकरोंके शिष्य वैसा आचरण नहीं करते ? इसके उत्तरमें  
आचार्यमहोदय लिखते हैं:—

मज्जमया दिढबुद्धी एयगमणा अमोहलक्खा य ।

तम्हा हु जमाचरंति तं गरहंता विसुज्जंति ॥ १२८ ॥

पुरिमचरमा दु जम्हा चलचित्ता चेव मोहलक्खा य ।

तो सञ्चपडिकमणं अंधलयघोडयदिहंतो ॥ १२९ ॥

अर्थात्—मध्यवर्ती तीर्थकरोंके शिष्य विस्मरणशीलतारहित दृढबुद्धि,  
स्थिरचित्त और मूढतारहित परीक्षापूर्वक कार्य करनेवाले होते हैं । इस-

लिये प्रकटरूपसे वे जिस दोषका आचरण करते हैं उस दोषमें आत्मनिन्दा करते हुए शुद्ध हो जाते हैं। पर आदि और अन्तके दोनों तीर्थकरोंके शिष्य चलचित्त, विस्मरणशील और मूढ़मना होते हैं—शास्त्रका बहुत बार प्रतिपादन करने पर भी उसे नहीं जान पाते। उन्हें क्रमशः ऋग्युजड और वक्रजड समझना चाहिये—इसलिये उनके समस्त प्रतिक्रमणदण्डकोंके उच्चारणका विधान किया गया है और इस विषयमें अन्ये घोड़ेका दृष्टान्त बतलाया गया है। टीकाकारने इस दृष्टान्तका जो स्पष्टीकरण किया है उसका भावार्थ इस प्रकार है—

‘किसी राजाका घोड़ा अन्धा हो गया। उस राजाने वैद्यपुत्रसे घोड़ेके लिये ओपथि पूछी। वह वैद्यपुत्र वैद्यक नहीं जानता था, और वैद्य किसी दूसरे ग्राम गया हुआ था। अतः उस वैद्यपुत्रने घोड़ेकी आँखेको आराम पहुँचानेवाली समस्त ओपथियोंका प्रयोग किया और उनसे वह घोड़ा नरिंग हो गया। इसी तरह साधु भी एक प्रतिक्रमण-दण्डकमें स्थिरचित्त नहीं होता हो तो दूसरेमें होगा, दूसरेमें नहीं तो तीसरेमें, तीसरेमें नहीं तो चौथेमें होगा, इस प्रकार सर्वप्रतिक्रमण-दण्डकोंका उच्चारण करना न्याय है। इसमें कोई विरोध नहीं है; क्योंकि सब ही प्रतिक्रमण-दण्डक कर्मके क्षय करनेमें समर्थ हैं।

मूलाचारके इस सम्पूर्ण कथनसे यह बात स्पष्टतया विदित होती है कि समस्त जैनतीर्थकरोंका शासन एक ही प्रकारका नहीं रहा है। वल्कि समयकी आवश्यकतानुसार—लोकस्थितिको देखते हुए—उसमें कुछ परिवर्तन ज़रूर होता रहा है। और इसलिये जिन लोगोंका ऐसा खयाल है कि जैनतीर्थकरोंके उपदेशमें परस्पर रंचमात्र भी भेद या परिवर्तन नहीं होता—जो वचनवर्गणा एक तीर्थकरके मुँहसे

खिरती है वही जँची तुली दूसरे तीर्थकरके मुँहसे निकलती है, उसमें जरा भी फेरफार नहीं होता—वह खयाल निर्मल जान पड़ता है। शायद ऐसे लोगोंने तीर्थकरोंकी बाणीको फौनोप्राफ़के रिकार्डोंमें भरे हुए मज्जमूनके सदृश समझ रखा है॥ परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं है। ऐसे लोगोंको मूलाचारके उपर्युक्त कथनपर खूब ध्यान देना चाहिये।

पं० आशाधरजीने भी, अपने 'अनगारधर्ममृत' ग्रन्थ और उसकी स्वोपज्ञ-टीकामें, तीर्थकरोंके इस शासनभेदका उल्लेख किया है। जैसा कि आपके निम्नवाक्योंसे प्रकट है:—

"आदिमान्तिमतीर्थकरावेव व्रतादिभेदेन सामायिकमुपदिशतः स्म नाऽजितादयो द्वाविंशतिरिति सहेतुकं व्याचषे—

दुःशोधमृजुजडैरिति पुरुरिव वीरोऽदिशद्रत्तादिभिदा ।

दुष्पालं वक्रजडैरिति साम्यं नापरे सुपदुशिष्याः ॥ ९-८७ ॥

टीका—अदिशादुपदिष्टवान् । कोऽसौ ? वीरोऽन्तिमतीर्थकरः । किं तत् ? साम्यं सामायिकाख्यं चारित्रम् । कया ? व्रतादिभिदा व्रतसमितिगुस्तिभेदेन । कुतो हेतोः ? इति । किमिति ? भवति । किं तत् ? साम्यम् । कीदशम् ? दुष्पालं पालयितुमशक्यम् । कैः ? वक्रजडैरज्ञवजाङ्घोपेतैः शिष्यैर्मेति । क इव ? पुरुरिव । इव शब्दो यथार्थः । यथा पुरुरादिनाथः साम्यं व्रतादिभिदाऽदिशत् । कुतो हेतोः ? इति । किमिति ? भवति । किं तत् ? साम्यं । कीदशम् ? दुःशोधं शोधयितुमशक्यम् । कैः ऋजुजुजडैरार्जवजाङ्घोपेतैः शिष्यैर्मेति । तथाऽपरेऽजितादयो द्वाविंशतिस्तीर्थकरा व्रतादिभिदा साम्यं नादिशन् । साम्यमेव व्रतमिति कथयन्ति स्म स्वशिष्याणामग्रे । कीदशास्ते ? सुपदुशिष्याः यतः ऋजुवक्रजडत्वाभावात् सुष्ठु पटवो व्युत्पन्नतमाः शिष्या यैषां त एवम् ॥"

“निन्दागहर्लोचनाभियुक्तो युक्तेन चेतसा ।

पठेद्वा शृणुयाच्छुद्धयै कर्मज्ञान् नियमान् समान् ॥८-६२॥

टीका—पठेद्वुच्चरेत् साधुः शृणुयाद्वा आचार्यादिभ्य आकर्णयेत् । कान् ? नियमान् प्रतिक्रमणदण्डकान् । किंविशिष्टान् ? समान् सर्वान् ।.....इदमत्र तात्पर्य, यस्मादैदंयुगीना दुःखमाकालानुभावाद्वक्षीभूताः स्वयमपि कृतं व्रताद्यतिचारं न स्मरन्ति चलचित्तत्वाच्चासकृत्प्रायशोपराध्यन्ति तस्मादीर्यादिषु दोषो भवतु वा मा भवतु तैः सर्वातिचारविशुद्धयर्थं सर्वे प्रतिक्रमणदण्डकाः प्रयोक्तव्याः । तेषु यत्र क्वचिच्चित्तं स्थिरं भवति तेन सर्वोऽपि दोषो विशोध्यते । ते हि सर्वोऽपि कर्मधातसमर्थाः । तथा चोक्तम्—

\* सप्रतिक्रमणो धर्मों जिनयोरादिमान्त्ययोः ।  
अपराधे प्रतिक्रान्तिर्मध्यमानां जिनेशिनाम् ॥  
यदोपजायते दोष आत्मन्यन्यतरत्र वा ।  
तदैव स्यात्प्रतिक्रान्तिर्मध्यमानां जिनेशिनाम् ॥  
ईर्यांगोचरदुःस्वप्नप्रभृतौ वर्ततां न वा ।  
पौरस्त्यपश्चिमाः सर्वे प्रतिक्रामन्ति निश्चितम् ॥  
मध्यमा एकविच्चायद्मूढदृढवुद्धयः ।  
आत्मनानुष्ठितं तस्माद्रह्माणाः सृजन्ति तम् ॥  
पौरस्त्यपश्चिमा यस्मात्समोहाश्रलचेतसः ।  
ततः सर्वे प्रतिक्रान्तिरन्धोऽश्वोऽत्र निर्दर्शनम् ॥”

और श्रीपूज्यपादाचार्यने, अपनी ‘चारित्रभक्ति’ में, इस विषयका एक पद्य निम्नप्रकारसे दिया है:—

\* ये पाँचों पद्य, जिन्हें पं० आशाधरजीने अपने कथनके समर्थनमें उद्धृत किया है, विक्रमकी प्रायः १३ वीं शताब्दीसे पहलेके बने हुए किसी प्राचीन ग्रंथके पद्य हैं । इनका सब आशय क्रमशः वही है जो मूलाचारकी उक्त गाथा नं० १२५से १२९का है । इन्हें उक्त गाथाओंकी छाया न कहकर उनका पद्यानुवाद कहना चाहिये ।

तिस्रः सत्तमगुप्तयस्तनुमनोभापानिमित्तोदयाः  
पंचेर्यादिसमाश्रयाः समितयः पंचव्रतानीत्यपि ।  
चारित्रोपहितं त्रयोदशतयं पूर्वं न दिएषं परै-  
राचारं परमेष्ठिनो जिनपतेर्वारान्नमामो वयम् ॥ ७ ॥

इसमें कायादि तीन गुप्ति, ईर्यादि पंच समिति और अहिंसादि पंच महाव्रतरूपसे त्रयोदश प्रकारके चारित्रिको 'चारित्राचार' प्रतिपादन करते हुए उसे नमस्कार किया है और साथही यह बतलाया है कि 'यह तेरह प्रकारका चारित्र महावीर जिनेन्द्रसे पहलेके दूसरे तीर्थकरोंद्वारा उपदिष्ट नहीं हुआ है'—अर्थात्, इस चारित्रिका उपदेश महावीर भगवान्ने दिया है, और इसलिये यह उन्होंका खास शासन है। यहाँ 'वीरात् पूर्वं न दिएषं परैः' शब्दों परसे, यद्यपि, यह स्पष्ट धनि निकलती है कि महावीर भगवान्से पहलेके किसी भी तीर्थकरने—ऋषभदेवने भी—इस तेरह प्रकारके चारित्रिका उपदेश नहीं दिया है, परन्तु टीकाकार प्रभाचन्द्राचार्यने 'परैः' पदके वाच्यको भगवान् 'अजित' तक ही सीमित किया है—ऋषभदेव तक नहीं। अर्थात्, यह सुझाया है कि—पार्श्वनाथसे लेकर अजितनाथपर्यंत पहलेके वार्षिक तीर्थकरोंने इस तेरह प्रकारके चारित्रिका उपदेश नहीं दिया है—उनके उपदेशका विषय एक प्रकारका चारित्र (सामायिक) ही रहा है—यह तेरह प्रकारका चारित्र श्रीवर्धमान महावीर और आदिनाथ (ऋषभदेव)के द्वारा उपदेशित हुआ है। जैसा कि आपकी टीकाके निम्न अंशसे प्रकट है:—

".....परैः अन्यतीर्थकरैः । कस्मात्परैः ? वीरादन्यतीर्थकरात् । किं-विशिष्टात् ? जिनपतेः..... । पैररजितादिभिर्जिननाथैत्रयोदशभेदमिन्नं चारित्रं न कथितं सर्वसावद्यविरतिलक्षणमेकं चारित्रं तौर्विनिर्दिष्टं तत्कालीनशिष्याणां ऋजु-चक्रजडमतित्वाभावात् । वर्धमानस्वामिना तु वक्रजडमतिभव्याशयवशात् आदि-देवेन तु ऋजुजडमतिविनेयवशात् त्रयोदशविधिं निर्दिष्टं थाचारं नमामो वयम् ।"

संभव है कि 'परैः' पदकी इस सीमाके निर्धारित करनेका उद्देश्य मूलाचारके साथ पूज्यपादके इस कथनकी संगतिको ठीक विठलाना रहा हो । परन्तु वास्तवमें यदि इस सीमाको न भी निर्धारित किया जाय और यह मान लिया जाय कि ऋषभदेवने भी इस त्रयोदशविघ्नपते चारित्रका उपदेश नहीं दिया है तो भी उसका मूलाचारके साथ कोई विरोध नहीं आता है । क्योंकि यह हो सकता है कि ऋषभदेवने पंचमहाव्रतोंका तो उपदेश दिया हो—उनका छेदोपस्थापना संयम अहिंसादि पंचभेदात्मक ही हो—किन्तु पंचसमितियों और तीन गुणियोंका उपदेश न दिया हो, और उनके उपदेशकी ज़खरत भगवान् महावीरको ही पड़ी हो । और इसी लिये उनका छेदोपस्थापन संयम इस तेरह प्रकारके चारित्रभेदको लिये हुए हो, जिसकी उनके नामके साथ खास प्रसिद्धि पाई जाती है । परन्तु कुछ भी हो, ऋषभदेवने भी इस तेरह प्रकारके चारित्रका उपदेश दिया हो या न दिया हो, किन्तु इसमें तो सन्देह नहीं कि शेष वाईस तीर्थकरोंने उसका उपदेश नहीं दिया है ।

यहाँपर इतना और भी बतला देना ज़खरी है कि भगवान् महाचीरने इस तेरह प्रकारके चारित्रमेंसे दस प्रकारके चारित्रको—पंचमहाव्रतों और पंचसमितियोंको—मूलगुणोंमें स्थान दिया है । अर्थात्, साधुओंके अद्वाईस\* मूलगुणोंमें दस मूलगुण इन्हें करार दिया है ।

\* अद्वाईस मूलगुणोंके नाम इसप्रकार हैं:—

१ अहिंसा, २ सत्य, ३ अस्तेय, ४ ब्रह्मचर्य, ५ अपरिग्रह (ये पाँच महाव्रत); ६ ईर्यां, ७ भाषा, ८ एषणा, ९ आदाननिक्षेपण, १० प्रतिष्ठापन, (ये पाँच समिति); ११-१५ स्पर्शन-रसन-प्राण-चक्षु-श्रोत्र-निरोध (ये पंचेन्द्रियनिरोध); १६ सामायिक, १७ स्तव, १८ वन्दना, १९ प्रतिक्रमण, २० प्रत्याख्यान,

तब यह स्पष्ट है कि श्रीपार्थनाथादि दूसरे तीर्थकरोंके मूलगुण भगवान् महावीरद्वारा प्रतिपादित मूलगुणोंसे भिन्न थे और उनकी संख्या भी अट्टाईस नहीं हो सकती—दसकी संख्या तो एकदम कम हो ही जाती है; और भी कितने ही मूलगुण इनमें ऐसे हैं जो उस समयके शिष्योंकी उक्त स्थितिको देखते हुए अनावश्यक प्रतीत होते हैं। वास्तवमें मूलगुणों और उत्तरगुणोंका सारा विधान समयसमयके शिष्योंकी योग्यता और उन्हें तत्त्वकलीन परिस्थितियोंमें सन्मार्गपर स्थिर रख सकनेकी आवश्यकतापर अवलभित्ति रहता है। इस दृष्टिसे जिस समय जिन व्रतनियमादिकोंका आचरण सर्वोपरि मुख्य तथा आवश्यक जान पड़ता है उन्हें मूलगुण करार दिया जाता है और शैषको उत्तरगुण। इसीसे सर्व समयोंके मूलगुण कभी एक प्रकारके नहीं हो सकते। किसी समयके शिष्य संक्षेपप्रिय होते हैं अथवा थोड़ेमें ही समझ लेते हैं और किसी समयके विस्ताररूचिवाले अथवा विशेष खुलासा करनेपर समझनेवाले। कभी लोगोंमें ऋजुजड़ताका अधिक संचार होता है, कभी वक्रजड़ताका और कभी इन दोनोंसे अतीत अवस्था होती है। किसी समयके मनुष्य स्थिरचित्त, दृढ़बुद्धि और वलवान होते हैं और किसी समयके चलचित्त, विस्मरणशील और निर्बल। कभी लोकमें मूढ़ता बढ़ती है और कभी उसका न्हास होता है। इस लिये जिस समय जैसी जैसी प्रकृति और योग्यताके शिष्योंकी—उपदेशपात्रोंकी—घड़ुलता होती है उस उस वक्तकी जनताको लक्ष्य करके तीर्थकरोंका उसके उपयोगी वैसा ही उपदेश तथा वैसा ही व्रत-नियमादिकका विधान होता है।

२१ कायोत्सर्ग (ये घड़ावश्यक किया); २२ लोच, २३ आचेलक्य, २४ अस्तान, २५ भूजायन, २६ अदन्तधर्षण, २७ स्थितिभोजन, और २८ एकभज्ज।

उसीके अनुसार मूलगुणोंमें भी हरफेर हुआ करता है। परंतु इस भिन्न प्रकारके उपदेश, विधान या शासनमें परस्पर उद्देश्य-भेद नहीं होता। समस्त जैनतीर्थकरोंका वही मुख्यतया एक उद्देश्य 'आत्मासे कर्म-मलको दूर करके उसे शुद्ध, सुखी, निर्दोष और स्वाधीन बनाना' होता है। दूसरे शब्दोंमें यों कहिये कि संसारी जीवोंको संसाररोग दूर करनेके मार्गपर लागाना ही जैनतीर्थकरोंके जीवनका प्रधान लक्ष्य होता है। अस्तु। एक रोगको दूर करनेके लिये जिस प्रकार अनेक ओषधियाँ होती हैं और वे अनेकप्रकारसे व्यवहारमें लाई जाती हैं; रोग-शांतिके लिये उनमेंसे जिसवक्त जिस ओषधिको जिसविधिसे देनेकी ज़रूरत होती है वह उसवक्त उसी विधिसे दी जाती है—इसमें न कुछ विरोध होता है और न कुछ वाधा आती है। उसी प्रकार संसाररोग या कर्मरोगको दूर करनेके भी अनेक साधन और उपाय होते हैं, जिनका अनेक प्रकारसे प्रयोग किया जाता है। उनमेंसे तीर्थकर भगवान् अपनी अपनी समयकी स्थितिके अनुसार जिस जिस उपायका जिस जिस रीतिसे प्रयोग करना उचित समझते हैं उसका उसी रीतिसे प्रयोग करते हैं। उनके इस प्रयोगमें किसी प्रकारका विरोध या वाधा उपस्थित होनेकी संभावना नहीं हो सकती। इन्हीं सब बातोंपर मूलाचारके विद्वान् आचार्यमहोदयने, अपने ऊपर उल्लेख किये हुए वाक्योद्धारा, अच्छा प्रकाश डाला है और अनेक युक्तियोंसे जैनतीर्थकरोंके शासन-भेदको भव्यप्रकार प्रदर्शित और सूचित किया है। इसके सिवाय, दूसरे विद्वानोंने भी इस शासनभेदको माना तथा उसका समर्थन किया है, यह और भी विशेषता है\*।

\* इवेताम्बरग्रन्थोंमें भी जैनतीर्थकरोंके शासन-भेदका उल्लेख मिलता है, जिसके कुछ अवतरण परिशिष्ट (ख)में दिये गये हैं।

आशा है इस लेखको पढ़कर सर्वसाधारण जैनीभाई, सलानेपी और अन्य ऐतिहासिकं विद्वान् ऐतिहासिक क्षेत्रमें कुछ नया अनुभव प्राप्त करेंगे और साथ ही इस बातकी खोज लगायेंगे कि जैनतीर्थकरोंके शासनमें और किन किन बातोंका परस्पर भेद रहा है ।

जुगलकिशोर मुख्तार



## परिशिष्ट

(ख)

श्वेताम्बरोंके यहाँ भी जैनतीर्थकरोंके शासनभेदका कितना ही उल्लेख मिलता है, जिसके कुछ नमूने इसप्रकार हैं:—

(१) 'आवश्यकनिर्युक्ति'में, जो भद्रबाहु श्रुतकेवलीकी रचना कही जाती है, दो गाथाएँ निम्नप्रकारसे पाई जाती हैं—

सपडिकमणो धम्मो शुरिमस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स ।

मञ्ज्ञमयाण जिणाणं कारणजाए पडिकमणं ॥ १२४४ ॥

वावीसं तित्थयरा सामाह्यसंजमं उवइसंति ।

छेऽओवद्वावणयं पुण वयन्ति उसमो य वीरो य ॥ १२४६ ॥

ये गाथाएँ साधारणसे पाठभेदके साथ, जिससे कोई अर्थभेद नहीं होता, वे ही हैं जो 'मूलाचार'के ७ वें अध्यायमें क्रमशः नं० १२५ और ३२ पर पाई जाती हैं । और इसलिये, इस विषयमें, निर्युक्तिकार और मूलाचारके कर्ता श्रीवृष्टकेराचार्य दोनोंका भत्त एक जान पड़ता है ।

१ 'कारणाजाते' अपराध एवोत्पन्ने सति प्रतिक्रमणं भवति—हति हरिमद्दः ।

(२) 'उत्तराध्ययनसूत्र' में 'केशि-गौतम-संवाद' नामका एक प्रकरण ( २३ वाँ अध्ययन ) है, जिसमें सबसे पहले पार्थनाथके शिष्य ( तीर्थशिष्य ) केरी स्वामीने महावीर-शिष्य गौतम गणधरसे दोनों तीर्थ-करोंके शासनभेदका कुछ उल्लेख करते हुए उसका कारण दर्यापृति किया है और यहाँतक पूछा है कि धर्मकी इस द्विविध प्रखण्डणा अथवा मतभेद पर क्या तुम्हें कुछ अविश्वास या संशय नहीं होता है ? तब गौतम-स्वामीने उसका समाधान किया है। इस संवादके कुछ वाक्य ( भाव-विजयगणीकी व्याख्यासहित ) इसप्रकार हैं :—

चाउज्जामो अ जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्खओ ।

देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महामुणी ॥ २३ ॥

**व्याख्या**—चतुर्यामो हिंसानृतस्तेयपरिग्रहोपरमात्मकन्त्रतचतुष्करूपः, पंचशिक्षितः स एव मैथुनविरतिलपर्यंचमहाब्रतान्तिः ॥ २३ ॥

एककज्जपवन्नाणं, विसेसे किं तु कारणं ।

धम्मे दुविहे मेहावी ! कहं विष्पच्चओ न ते ? ॥ २४ ॥

**व्याख्या** :—‘धम्मेति’ इत्यं धर्मे साधुधर्मे द्विविधे हैं मेहाविन् कर्थं विप्रत्ययः अविश्वासो न ते तव ? तुल्ये हि सर्वज्ञत्वे किं कृतोऽयं मतभेदः ? इति ॥ २४ ॥ एवं तेनोक्ते—

तथो केसिं बुवंतं तु, गोअमो इणमव्ववी ।

पण्णा समिक्षणे धम्मं-तत्त्वं तत्त्वविषिण्ठयं ॥ २५ ॥

**व्याख्या**—‘बुवंतं तुति’ ब्रुवन्तमेवाऽनेनादरातिशयमाह, प्रशांतुद्धिः समीक्ष्यते पश्यति, किं तदित्याह—‘धम्मं-तत्त्वं’ विन्दोलोपे धर्मतत्त्वं धर्मपरमार्थं, तत्त्वानां जीवादीनां विनिश्चयो यस्मात्तत्त्वा, अर्थं भावः—न वाक्यश्रवणमात्रादेवार्थनिषेदं स्यात्किन्तु प्रशावशादेव ॥ २५ ॥ तत्त्वं—

मुरिमा उज्जुजडा उ, वक्कजडा य पच्छिंमा ।

मज्जिमा उज्जुपण्णा उ; तेण धम्मे दुहा कए ॥ २६ ॥

**व्याख्या—**‘पुरिमति’ पूर्वे प्रथमजिनमुनयः कुञ्जवश्च प्रांजलतया जडाश्च दुष्प्रज्ञाप्यतया कुञ्जडाः, ‘तु’ इति यस्मादेतोः वकाश्च वकप्रकृतित्वाज्जडाश्च निजानेकुविकल्पैः विवक्षितार्थावगमाक्षमत्वाद्वृक्जडाः, चः समुच्चये, पश्चिमाः पश्चिमजिनतनयाः । मध्यमास्तु मध्यमार्हतां साधवः, कुञ्जवश्च ते प्रज्ञाश्च सुवोधर्त्वेन कुञ्जप्रज्ञाः । तेन हेतुना धर्मो द्विधा कृतः । एककार्यप्रपन्नत्वेषि इति प्रक्रमः ॥२६॥

यदि नाम पूर्वादिसुनीनामीद्वशत्वं, तथापि कथमेतद्द्वैविद्यमित्याह—

पुरिमाणं दुविसोज्ज्ञो तु, चरिमाणं दुरणुपालयो ।

कप्पो मज्जमगाणं तु, सुविसोज्ज्ञो सुपालयो ॥ २७ ॥

**व्याख्या—**पूर्वेषां दुःखेन विशोध्यो निर्मलतां नेतुं शक्यो दुर्विशोध्यः, कल्प-इति योज्यते, ते हि कुञ्जडत्वेन गुरुणानुशिष्यमाणा अपि न तद्वाक्यं सम्यगव-चोद्धु प्रभवन्तीति तुः पूर्तौ । चरिमाणां दुःखेनानुपालयते इति दुरनुपालः स एव दुरनुपालः कल्पः साध्वाचारः । ते हि कथंचिज्ञानन्तोऽपि कक्रजडत्वेन न यथा-वदनुष्ठातुमीशते । मध्यमकाणां तु विशोध्यः सुपालकः कल्प इतीहापि योज्यं, ते हि कुञ्जप्रज्ञत्वेन सुखेनैव यथावज्ञानन्ति पालयन्ति च अतस्ते चतुर्यामोक्षावपि पंचममपि यामं ज्ञातुं पालयितुं च क्षमाः । यदुक्तं—“नो अपरिग्नहिआए, इत्थीए ज्ञेण होइ परिभोगो । ता तविचरह्यै चिअ, अवंभविरहिति पण्णाणं ॥ १ ॥” इति तदपेक्षया श्रीपार्श्वस्त्वामिना चतुर्यामो धर्म उक्तः पूर्वपश्चिमास्तु नेदशा इति श्रीकुषभश्रीवीरस्त्वामिभ्यां पंचवतः । तदेवं विचिन्प्रज्ञविनेयानुग्रहाय धर्मस्य द्वैविद्यं न तु तात्त्विकं । वादजिनकथनं चेह प्रसंगादिति सूत्रपंचकार्थः ॥ २७ ॥

इस संवादकी २६ वीं और २७ वीं गाथामें शासनभेदका जो कारण बतलाया गया है—भेदमें कारणीभूत तत्त्वालीन शिष्योंकी जिस परिस्थिति-विशेषका उल्लेख किया गया है—वह सब वही है जो मूलाचारादि दिग्म्बर-प्रधोंमें वर्णित है । बाकी, पार्श्वनाथके ‘चतुर्याम’ धर्मका जो यहाँ उल्लेख किया गया है उसका आशय यदि वही है जो टीकाकारने अहिंसादि चार त्रत्तरूप-बतलाया है, तो वह दिग्म्बर सम्प्रदायके कथनसे कुछ भिन्न जान पड़ता है ।

(३) ‘प्रज्ञापनासूत्र’ की मल्यगिरि-टीकामें भी तीर्थकरोंके शासनभेदका कुछ उल्लेख मिलता है । यथा:—

“ यद्यपि सर्वमपि चारित्रमविशेषतः सामायिकं तथापि छेदादिविशेषैर्विशिष्य-  
माणमर्थतः शब्दान्तरतथ नानात्मं भजते, “प्रथमं पुनरविशेषणात् सामान्यशब्द  
एवावतिष्ठते सामायिकमिति तच्च द्विधा—इत्वरं यावत्कथिकं च, तत्रेत्वरं भरतैरावतेषु  
प्रथमपश्चिमतीर्थकरतीर्थेष्वानारोपितमहात्रतस्य शैक्षकस्य विज्ञेयं, यावत्कथिकं च  
प्रव्रज्याप्रतिपत्तिकालादारभ्याप्राणोपरमात्, तच्च भरतैरावतभाविमध्यद्वाराविंशतितीर्थ-  
करतीर्थान्तरगतानां विदेहतीर्थकरतीर्थान्तरगतानांच साधूनामवसेयं तेषामुपस्थाप-  
नाया अभावात् । उक्तं च—

सर्वमिणं सामाइय छेयाइविसेसियं पुण विभिन्नं ।

अविसेसं सामाइय ठियमिह सामन्नसन्नाप ॥ १ ॥

सावज्जजोगविरइ त्ति तत्थ सामाइयं दुहा तं च ।

इत्तरमावकहं ति य पढमं पढमंतिमजिणाणं ॥ २ ॥

तित्थेषु अणारोवियवयस्स सेहस्स थोवकालीयं ।

सेसाण यावकहियं तित्थेषु विदेहयाणं च ॥ ३ ॥

तथा छेदः पूर्वपर्यायस्य उपस्थापना च महावतेषु यस्मिन् चारित्रे तच्छेदोपस्था-  
पनं, तच्च द्विधा—सातिचारं निरतिचारं च, तत्र निरतिचारं यदित्वरसामायिकवत-  
शैक्षकस्य आरोप्यते तीर्थान्तरसंकान्तौ वा, यथा पार्श्वनाथतीर्थाद् वर्धमानतीर्थ  
संकामतः पंचयामप्रतिपत्तौ, सातिचारं यन्मूलगुणधातिनः पुनर्वतोचारणं, उक्तं च—

सेहस्स निरइयारं तित्थन्तरसंकमे व तं होज्जा ।

मूलगुणधाइणो साइयारमुभयं च ठियकप्पे ॥ १ ॥

‘उभयं चेति’ सातिचारं निरतिचारं च ‘स्थितकल्पे’ हति प्रथमपश्चिमतीर्थकर-  
तीर्थकाले ।”

इस उल्लेखमें अजितसे पार्श्वनाथपर्यंत वाईस तीर्थकरोंके साधुओंके जो  
छेदोपस्थापनाका अभाव बतलाया है और महावतोंमें स्थित होनेलप  
चारित्रको छेदोपस्थापना लिखा है वह मूलचारके कथनसे मिलता जुलता  
है । शेष कथनको विशेष अध्यवा भिन्न कथनं कहना चाहिये ।

कुरुक्षुर् समात् शुरुक्षु

—\*—

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
८	१८	वादर	वादर
१४	२१	निशासन	निशाशन
२४	५	अणुव्रत और महाव्रत	अणुव्रती और महाव्रती
"	२२	पठगं	पढमं
२६	२१	तम्बोलो सहु जलमुइवि	तम्बोलोसहु जल मुइवि
"	"	अंथविए	अत्यसिए
३३	४	—दीयते	—दत्ते
३६	२१	रक्खडं	रक्खट्टं
३७	१२	पुन	पुण
३९	१८	रक्खट्टं	रक्खट्टं
"	१९	वट्टक्रेः	वट्टक्रेः
४२	१६	सागर	सागार
४३	३, ५	विदियं	विदियं
"	१०	शिवकोटि	शिवकोटि
४८	२२	अभितगतिः	असितगतिः
४९	१	चतुर्भेदं	चतुर्भेदं
५२	१६	इन्द्रिय	इंदिय
५६	३	शस्य	सस्य
५७	२२	तिष्ठन्ते	संतिष्ठन्ते
५८	२१	देसाम्मि	देसम्मि
५९	५	—स्तिष्ठन्	—स्तिष्ठन्
६२	१९	अमतौर	आम तौर

